(vii) G.S.R. No. 563(E), dated the 20th October, 1981.

(viii) G.S.R. No. 960, dated the 31st October, 1981, alongwith an Explanatory Memorandum thereon.

(ix) G.S.R. No. 588(E), dated the 12th November, 1981.

[Placed in Library. *See* No. LT-2891/81 for (i) to (ix)].

(b) A copy each (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notifications S.O. Nos. 2937 to 2942, 2946 to 2950, 2952 and 2953 dated the 31st October, 1981, under section 296 of the Income-tax Act, 1961. [Placed in Library. *See* No. LT-2890/81].

IV. A copy (in English and Hindi) of the Assam Finance Act, 1981 (No. 1 of 1981) enacted by the President, under sub-section (3) of section 3 of the Assam State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1981. [Placed in Library. *See* No. LT-2888/81].

V. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue):—

(i) G.S.R. No. 533(E), dated the 24th September, 1981.

(ii) G.S.R. No. 567(E), dated the 28th October, 1981, alongwith an Explanatory Memorandum thereon.

[Placed in Library. *See* No. LT-2889/81 for (i) and (ii)].

SHRI INDRADEEP SINHA (Bihar): Sir, on a point of order. In today's Order Paper there has to be a statement before the House on the IMF loan by the honourable Finance Minister and in that connection the text of the terms of agreement with the IMF should be laid on the Table of the House, but that is not found on the Order Paper...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not at this stage. He is only laying the papers on the Table.

SHRI ERA SEZIYAN (Tamil Nadu): Sir, I am also on a point of order. Under the first item the Minister of State for Finance was laying on the Table Annual Reports together with Accounts and Auditors' Reports for the year ended 31st December, 1980 in respect of twenty banks. Now, as per the direction given to the Government all these Statements should have been laid before the House within nine months from the closure of the accounts. But that has not been done. Since they have failed to put them before the House before the expiry of nine months, the Minister owes an explanation, an explanation should be given to the House, why these statements were not laid before the House before the expiry of nine months from the closure of the accounts on 31st December, 1981.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: Annual Reports of the twenty nationalised banks were laid on the Table of Rajya Sabha on 15th September, 1981. These Reports were required to be re-laid on the Table of the House.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Growing incidence of dacoities and lawlessness in running trains with particular reference to the looting of the Lucknow-New Delhi Mail on the 30th October, 1981.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up the Calling Attention Mr. Narsingh Narain Pandey.

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, 30 अक्तूबर, 1981 को लखनऊ नई दिल्ली मेल को लूटे जाने के विशेष संदर्भ में, चलती रेलगाडियों में डकैती तथा अराजकता की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर मैं रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDE): Sir, ...

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उन्होंने हिन्दी में सवाल किया है...

(**व्यवधान**)

श्री केदार पांडे : चाहे हिन्दी में हो या अंग्रेजी में हो जैसा चाहेंगे वैसा बोलेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है।

Sir, there has been a progressive increase in the incidence of robberies/dacoities in running trains from year to year. 223 such cases occurred in 1978, 253 in 1979 and 351 in 1980. During the period January-October, 1981, as many as 313 cases of robberies and dacoities in trains have so far been reported. Trains running within the jurisdiction of the States of Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, West Bengal and Madhya Pradesh were mostly affected.

2. On 30-10-81, 29 UP Lucknow-Delhi Mail started from Lucknow at about 21.35 hours. As the train started, some culprits boarded the Second-class Air-conditioned Gorakhpur-New Delhi Sleeper Coach of the train and mingled themselves with *the passengers who were getting into* the coach or who were getting out of the coach or were still trying to settle in the compartment. The miscreants over-powered the coach attendent as well as the electrician on duty in the coach and started looting the passengers at the point of pistol and knives. 28 passengers, including 2 Members of Parliament, named Shri Mahabir Prasad of Gorakhpur, Shri Kalpnath Sonkar of Basti, and Shri Sukhdev Prasad, an ex-Minister, were looted and deprived of their valuables and belongings worth about Rs. 80,000. At about 23.00 hours, when the train left Hardoi station and was near its west cabin, the miscreants stopped the train by pulling alarm-chain and escaped. The train was brought back to Hardoi railway station and a report was lodged with the Government Railway Police, Hardoi.

3. One of the passengers who had sustained knife injuries at the hands of criminals was rendered medical aid and, thereafter the train started at 1.52 hours on 31-10-81. The train was escorted by an armed police escort consisting of 2 GRP constables and 20 recruit constables under the charge of a Sub-Inspector of Government Railway Police. They immediately got down, combed the adjoining area with a view to apprehending the culprits, but in vain. On receipt of information, Government Railway Police, Hardoi flashed wireless messages to all police stations in the adjoining areas to block the escape routes and to be on the look out of the criminals. On receipt of the wireless message, Sub-Inspector of Police Station, Bhagoli, district Hardoi, succeeded in intercepting truck No. PSE 5913 carrying some pipes near Bhagoli crossing situated on the Hardoi-Lucknow road. Some of the criminals connected with this dacoity were found trying to escape on this truck. On seeing the Police picket, the dacoits opened fire resulting in injuries to the Sub-Inspector of Police. The Police Party also opened fire in self defence as a result of which one of the dacoits named Nav Rattan s/o Jagan Nath *alias Bidia*, r/o Samastipur (Bihar) died on the spot and two of his associates, namely, Rajendra Singh alais Raju and Devindra Singh alias Dear were injured and taken into Police custody. The fourth dacoit reported to be named Vijay Singh, however, managed to escape. A major portion of the looted property worth about Rs. 60,000 could be recovered.

4. G.R.P./Lucknow has registered a case No. 807 dated 31-10-81 under Section 395 IPC and investigations are in progress. Police parties have been despatched to Bihar as well as to other areas to verify the antecedent of criminals as well as to arrest the absconding criminals.

5. The Government Railway Police, who are responsible for safety and security of passengers travelling in trains and their belongings, are making their best efforts to control crime on the Railways by providing escorts on trains, surveillance over criminals,

[Shri Kedar Pande]

arresting and prosecuting them in specific cases. Railway Protection Force is assisting the Government Railway Police in this regard. Chief Ministers of the concerned State have also been approached by me to ensure that adequate preventive measures are taken in this regard.

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : श्रीमन्, रेल मंत्री जी ने बड़े विस्तारपूर्वक बताया और वास्तविकता को उन्होंने रखा कि ट्रेनों में डकैती हर साल बढ़ती जा रही है और श्रीमन् अभी पिछले नवम्बर में माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग की कन्सल्टेटिव कमेटी की मीटिंग्स में भी कहा था कि हमने चीफ मिनिस्टर्स से बात की है और हमने उनको परसुएड किया है कि वे जी० आर० पी० फोर्स को बढ़ायें। उन्होने यह भी कहा कि हमने आर० पी० एफ० की फोर्स को बढ़ा दिया है ।

श्रीमन्, आज भी एक डकैती हुई है जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट चन्द्र शेखर अय्यर जो हमारी वायु सेना के बड़े ही विशिष्ट अधिकारी थे, उनको आज एक ट्रेन में गोली मार दी गई है, डकैतों ने मारा है, जो आज "हिन्दुस्तान" हिन्दी अखबार में आया है। यह इंसिडेंट 10-अप लखनऊ झांसी मेल में हुआ है जो आज छपा हुआ है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते चले जा रहे हैं और मंत्री जी और सरकार बहुत ही कारगर ढंग से ट्रेंस में सुरक्षा की व्यवस्था भी करती चली जा रही है। लेकिन अभी तक कोई कारण यह समझ में नहीं आया कि आखिर यह जो क्रिमिनल्स हैं, जो पकड़े जा रहे है, यह श्रीमन्, एक ही उम्र के हैं और अगर आप देखें तो बीस से पच्चीस साल की उम्र के यह सारे क्रिमिनल्स इस तरह की डकैतियां कर रहे हैं। इसका क्या निदान हुआ। इसके बारे में क्या सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार किया। क्या यह भी विचार किया कि ट्रेन में केवल एक अटेंडेंट को लेकर के सारा फर्स्ट क्लास, ए० सी० सी० का कम्पार्टमेंट चलता है, जिसमें कोई ट्रेन एग्जामिनर नहीं बैठता और कोई ऐसी डिवाइस भी नहीं लगाई गई है। श्रीमन्, यह इलेक्ट्रानिक्स का युग है और इस इलेक्ट्रानिक्स के युग में विदेशों में हमारे रेलवे बोर्ड के अधिकारी यदा-कदा जाते रहते हैं और वह नई गाड़ियों को बनाने और उनको इजाद करने में भी कारखानों में काफी काम हो रहा है। श्रीमन्, कभी कोई यह कोशिश नहीं की गई है कि कोई ऐसा अलार्म सिस्टम ट्रेन में लागू किया जाये जिससे जब क्रिमिनल्स आते हैं, तो कम से कम यह तो मालूम हो जाये पुलिस को या जी० आर० पी० को या जो भी ट्रेन में सुरक्षा के लिये चलते हैं, उनको मालूम हो जाये कि फलां कम्पार्टमेंट में लोग आये हुए हैं ।

श्रीमन्, हर जी० आर० पी० का स्टेशन आपके डिविजनल हैडक्वार्टर पर पड़ता है। हर डिविजन में हैडक्वार्टर्स पर, हर डिस्ट्रिक्ट में हैडक्वार्टर्स पर जो स्टेशन वहां हैं पर जी० आर० पी० का दारोगा रहता है और वहां पर कांस्टेबल रहते हैं वहां पर आर० पी० एफ० का फोर्स रहता है। लेकिन, श्रीमन्, कभी यह कोशिश नहीं की गई है। आप सोचें कि लखनऊ से एक ट्रेन हरदोई तक चली आई और उस बीच में कोई भी पुलिस का अधिकारी यह नहीं देखने के लिये आया कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ए० सी० सी० कम्पार्टमेंट्स में पैसेन्जर्स की क्या हालत है ?

श्रीमन्, इस पर गौर करना चाहिए, इसको देखना चाहिये, इस पर जिम्मेदारी नियत करनी चाहिये । जब तक

ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक ट्रेन पर डकैतियां और चोरियां कैसे रुकेंगी। श्रीमन्, यह आज हो नहीं है।

श्रीमन्, मैं स्वयं उस ट्रेन से आने वाला था, पर किसी कारणवश हवाई जहाज से चले आना पड़ा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपने बड़ी लाइन को बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ा, लेकिन उस पर रेक्स को क्या कंडिशन है, उन डिब्बों को क्या हालत है—जो डिब्बे बाहर से, अंदर से बंद भी कर दिये जायें, लेकिन बाहर से कोई भी आकर के उसको खोल सकता है और घुस सकता है। क्या करेगा कंडक्टर, क्या करेगा दूसरा अधिकारी और जो हमारी आज एक ट्रेन चलती है, बनारस से इलाहाबाद चलती है, जो भटनी में आकर के रुकती है, आपका प्लेटफार्म पर लाइन साफ है मैं अभी पिछले दिनों सफर कर रहा था, मुझे बनारस से गोरखपुर आना था। मैं अपने परिवार के साथ था। श्रीमन्, बीच में दो गाड़ियों को लाकर के ट्रेन रोक दी गई। जो दूसरी ट्रेन आपने मेल ट्रेन लगाया जो कि बड़ी लाइन है, सारे रेक्स में कहीं पर कोई रोशनी नहीं है, सारा आर० पी० एफ० का स्टाफ मजे से उसमें सो रहा था, कोई प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं। दो ट्रेनों के बीच में आकर के लोग अपना सामान लेकर के बहुत अंधियारे के बीच में दूसरी ट्रेन में जाकर के वह शिफ्ट करने लगे। और इसीलिए श्रीमन् कहा गया कि उस लाइन को भी एक बड़ी लाइन में परिवर्तित करें. कि जिससे जो लोग इलाहाबाद जाते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के, वे कम से कम सुरक्षित तरीके से गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और पूर्वी जिलों के इलाकों में जा सकें। लेकिन श्रीमन्, अभी तक उस पर माननीय मंत्री जी ने ख्याल नहीं किया; उस ओर भी ख्याल किया जाये। ट्रेनों का चलन, ट्रेनों की हालत, ट्रेनों पर स्टाफ का न होना, सिक्योरिटी का न होना, ये सब कारण हैं, वजूहात है और साथ ही नये सिस्टम को नहीं लागू करना. इन सब से हमारे यहां ट्रेनों की डकैतियां बढ़ रही हैं और लोगों का माल, असबाब और जान जा रही है वह बड़ी मात्रा में जा रही है जिससे बहुत असंतोष बढ़ रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से दो-तीन-चार सवाल करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने केवल आर० पी० एफ० को बढ़ा कर और जी० आर० पी० को बढ़ा कर और केवल प्रदेशों की सरकारों से निवेदन करके अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली, सरकार की जिम्मेवारी पूरी कर ली या उन्होंने सोचा भी इस बारे में कि कोई ऐसा कदम उठाया जाये जिस कदम से सही तरीके से ट्रेनों का आवागमन, रोशनी, पानी, सुख-सुविधा का प्रबंध हो और हर स्टेशन पर जो ट्रेनों की देखरेख करने वाले लोग है, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, क्या वह इस बात को देखते हैं कि हर फर्स्ट क्लास, ए सी सी, स्लीपर्स कंपार्टमैंट में जाकर देखें अगर स्टाफ की कमी है तो उस स्टाफ को बढ़ाया जाय, अटेंडेंट्स की जगह, एग्जामिनर्स की जगह बढ़ायी जाये ताकि अवांछित लोग किसी भी स्टेशन पर स्लीपिंग कोच में या स्लीपिंग कंपार्टमेंट में या रिजर्व कंपार्टमेंट में न घुस पायें? क्या इसकी व्यवस्था कर पायेंगे? श्रीमन्, क्या इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि आज कोई ऐसा सिस्टम इलेक्ट्रोनिक्स के जरिये या किसी जरिये हो, जो नयी ट्रेनें आज लग रही ह उन में एक ऐसा मेकेनिजम लगायेंगें जिससे आटोमेटिकली लोगों को मालूम हो सके जिससे सुरक्षा की व्यवस्था

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

हो सके, ट्रेनों में सुरक्षा पुलिस चल सके और उसको तुरंत सूचित हो सके कि फलां ट्रेन में घटना हो रही है।

श्रीमन्, ये सब मौलिक प्रश्न हैं, मोटे-मोटे सवाल हैं। माननीय मंत्री जी उस प्रदेश के हैं जो जानकी का प्रदेश है; वहां, राम लक्ष्मण के प्रदेश में, आज इस तरह की डकैतियां हो रही हैं तो हम आशा करेंगे कि वे कम से कम इस बात का ख्याल रखेंगे कि वहां तो ये घटनायें न होने पायें।

श्री केदार पांडे : श्रीमन्, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि ट्रेन में क्राइम बढ़ा है। मैंने आंकड़े भी रखे हैं-- 313 क्राइम इस साल अक्तूबर तक हुए हैं इससे पहले भी 1978 में 1979 में और 1980 में क्राइम्स हुए हैं, उनके फिगर्स मैंने गिनाए--353 और 323 इस तरह की क्राइम्स की संख्या है। मैं कोई डिफेन्स नहीं लेता हूं अगर पहले डकैती, चोरी होती थी, क्राइम होता था इसलिये इस बार भी हो, इसको मैं डिफेन्स नहीं मानता हूं। मैं शुरू में कह दूं कि यह कमजोरी हमारी है और उसके साथ यह ला एण्ड आर्डर का सवाल है। हम ट्रेन ले जाते हैं एक स्टेट हो कर और जिस जगह से जाते हैं उसके आस-पास जो ला एण्ड आर्डर सिचुएशन है, वह प्रोजेक्टेड हो जाती है, ट्रेन में चली जाती है। इसलिए बेसिकली जो स्टेट गर्वनमेंट है, वह है, उसको इसमें ज्यादा देखना चाहिए। लेकिन यह कह कर मैं अपनी भी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता हूं, यह स्टेट का लिस्ट है इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि जो भी आर० पी० है, जो रेलवे प्रोटेक्शन के लिए रेलवे की पुलिस है और एक आर० पी० एफ० हमारी है, दोनों का को-आर्डिनेशन हो, हम असिस्ट करें उनको और वे काम करें।

यह आज पर्टिकुलर ट्रेनों के बारे में बात हुई। अफसोस है, कम से कम पांच डकैत उसमें घुस गए, एक एयर-कन्डिशन्ड क्लास में और कुछ सेकेंड क्लास में और उन पैसेन्जर को तंग किया, परेशान किया। वे सब बिहार के थे। मैं इस बात को मानता हूं, राम और जानकी (सीता) की बात एक अलग बात है। ये डकैत बिहार के लोग थे और वे आए थे समस्तीपुर से, दूसरी जगहों से। उन्होंने खुद बोला है जब पकड़े गये। उनका एक साथी मारा गया है, दो पकड़े गये हैं और बाकी का इनवेस्टीगेशन हो रहा है। इसमें जितने कदम हम उठा सकते हैं हमने कोशिश किया और यू० पी० की सरकार ने भी काफी कदम उठाये और यू० पी० की सरकार की पुलिस फोर्स ने पकड़ा है उनको।

यह तो हुआ जो मैंने अपने ब्यान में दिया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य जो हैं, उनकी भावना को शेयर करता हूं। कोई उसमें डिफेन्स की बात नहीं है, डकैती हुई है। लेकिन इसके लिये क्या करना चाहिये। हमारा आर० पी० यू० पी० एक्ट है 1966 का, उस के मुताबिक रेलवे प्रापर्टी का पजेशन अनलाफुल है। जो आर० पी० एफ० की फोर्स है वह सिर्फ वाच एंड वार्ड स्टाफ है, एसिस्ट करती हैं जी० आर० पी० को। जी० आर० पी० के पास पुलिस की ताकत है। आर० पी० एफ० के लोग सजग जरूर हैं, लेकिन वे कोई एक्शन नहीं ले सकते। इस ट्रेन में तीन आर० पी० एफ० के थे। बीस जी० आर० पी० के थे। जांच में यह बात सामने

आई कि उस डिब्बे में कोई फोर्स नहीं था, न आर० पी० एफ० का था, न जी० आर० पी० का। लेकिन दूसरे डिब्बे में थे। 11 किलोमीटर लखनऊ से हरदोई है।

श्री उपसभापति : ज्यादा दूर है।

एक माननीय सदस्य : 40 किलोमीटर।

SHRI KEDAR PANDE: 40 Kilometers, then I stand corrected ....

माननीय सदस्य ने कहा कि और क्या स्टेप्स ले रहे हैं। 28 आदमी थे पैसेंजर्स और चार या पांच आदमी आये, सब डर गये, हम भी रहते तो डरते, लेकिन कोई एलार्म चेन खींच नहीं सका, सब पैरेलाइज हो गये। मैं मानता हूं। अब हमने जो कदम उठाये हैं वह यह हैं कि जितनी इम्पार्टेंट ट्रेन हैं, रात में चलती हैं उनमें आर्म्ड गार्ड का एस्कार्ट हो, जी०आर०पी०का आर्म्ड गार्ड हथियार के साथ इन ट्रेनों में रहे खास कर उन ट्रेनों, में जो रात में चलती हैं जो कन्सर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हीं के गार्ड्स होंगे, जैसे यू० पी० में ट्रेन जाती है तो उनके गार्ड होंगे और बिहार और महाराष्ट्र में जायेगी तो उनके होंगे। तो हमने यह डिसीजन लिया है कि रात में जो ट्रेन चलें उन में आर्म्ड गार्ड साथ रहे। अभी तक नहीं चलता था। अब ला एंड आर्डर खराब है बिहार में, यू० पी० में, महाराष्ट्र में। साउथ में वैसा नहीं है। लेकिन जहां वैसा है उस स्टेट के जी० आर० पी० के गार्ड ट्रेन में जायेंगे। दूसरी बात यह है कि स्टेशन पर हम पेट्रोलिंग करायेंगे प्लेटफार्म पर और वेटिंग हाल्स में। तीसरी बात यह है कि जो बैडकरेक्टर्स हैं उन पर खास कर निगरानी करेंगे। इसके अलावा जो सुपरवाइजरी आफीसर हैं हमारे वे ट्रेन में चेक करेंगे, जहां इम्पार्टेंट स्टेशन हैं, जहां ज्यादा क्राइम होता है वहां विशेष ध्यान देंगे। इसी तरह इम्पार्टेंट केसेज का इनवेस्टीगेशन सी० आई० डी० का स्क्वेड करेगा। उसके साथ-साथ यह है कि स्टेट पुलिस अथारिटी से हर लेवल पर रेलवे आफीसर्स का क्लोज कन्टेक्ट होगा। पीरियोडिकल मीटिंग्स में इसको हम हाईलाइट करेंगे। आर० पी० एफ० स्टाफ पैसेंजर ट्रेन्स को एस्कार्ट करेगा। फिर रिव्यू होगा कि और क्या हमारी जरूरत है। एस्कार्ट को डाइरेक्ट किया जायेगा कि हर प्लेट फार्म पर जायें, हाल्ट पर जायें, देखें और उसके मुताबिक एक्शन लें। ट्रेन के ड्राइवर्स को यह आदेश दिया गया है कि डिस्टेंस व्हिसिल्स बजायें जब कोई ऐसी घटना घट जायें, डकैती, चोरी हो जायें ताकि लोग इकट्ठे हो सकें। इसी तरह कोच अटेंडेंटस को कहा है कि वे सजग रहे और आवश्यकतानुसार काम करें।

माननीय सदस्य ने कहा कि कोई मार्डनाइजेशन कीजिए, इलेक्ट्रोनिक सिस्टम लागू कीजिए। मैं खुद महसूस करता हूं कि आज का जो रेलवे सिस्टम है इट रिक्वायर्स माडर्नाइजेशन। इसके लिए एक बार हमने कम्प्यूटराइजेशन की बात की थी और आज भी वह अंडर-कंसीड्रेशन है। तो इस रेलवे सिस्टम को मार्डनाइजेशन करने की तरफ और अपटुडेट बनाने की तरफ, उस दिशा में हम सोच रहे हैं। लेकिन इसमें समय लगेगा। हमारे पास साधन नहीं हैं। यह करने में कुछ साल लगेंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल को हम मानते हैं और इसकी तरफ कदम भी उठा रहे हैं।

एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। हम लोगों ने जी० आर० पी० की स्ट्रेंथ बढ़ाई है और उसका आधार है

[श्री केदार पांडे]

50-50 उस में 50 परसेंट रेलवे खर्च करती है और 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। इसके मुताबिक 20 हजार फोर्स हैं और उसमें और भी स्ट्रेंथ बढ़ाई है जी० आर० पी० की और उस के लिये तीन करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को कांट्रीब्यूट किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो जी० आर० पी० है वह अपने से ही सारा खर्च नहीं करती है। हम उसको असिस्ट करते हैं और उसके लिए ही तीन करोड़ रुपया हमने दिया है। तो इस से साबित होता है कि हमारी भी जिम्मेदारी है और हम फंड देते हैं और आर० पी० एफ० के के लोग असिस्ट करते हैं जी० आर० पी० को। इसमें कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कहीं ला एण्ड आर्डर खराब है तो उसको ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम आप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक नहीं हैं और हमको उम्मीद है कि यह सिचुयेशन जरूर सुधरेगी।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa): Sir, I have one submission to make. In Mancheswar, we had an accident when one goods train was completely smashed into little bits. I am coming from that State...

श्री उपसभापति : जब आप का टर्न आये तो आप बोलियेगा।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: The hon. Minister should explain and highlight that point.

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभापति महोदय, मैं पांडे जी का उत्तर बहुत ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने देश की मौजूदा परिस्थितियों से अपने को जिस तरह से जोड़ कर रखा है इसलिये जो भी बात मैं कहूंगा उस के अन्दर काफी तथ्य उन को मिलेंगे। उपसभापति महोदय, यह कोई मजाक की बात नहीं होनी चाहिए या इस में एक दूसरे पर लांछन लगाने की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सत्ता पक्ष के लोग समझें कि विरोधी पक्ष से सत्ता पक्ष पर केवल हमला ही किया जाता है या सत्ता पक्ष को बदनाम किया जाता है। इस में मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन चूंकि मैं विरोध पक्ष का सदस्य हूं और कुछ दिनों तक मैंने सत्ता पक्ष की राजनीति भी की है, लेकिन सत्ता पक्ष में रहते हुए भी मेरा दिमाग खुला हुआ था और विरोध पक्ष में हूं इसलिये दिमाग और ज्यादा खुला हुआ है। मैंने 30 वर्ष तक राजनीतिक सत्ता पक्ष के विरोध में की है। मैं दुःख के साथ कह रहा हूं और मुझे यह सोच कर बहुत दुःख होता है कि आज देश कहां जा रहा है। इसके लिये वेदना भी है। हम गम्भीरता से सोचें कि आज देश किस तरफ जा रहा है और इस ओर में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्रीमन, आपको याद होगा — आप उस दिन चेयर पर मौजूद थे, मैंने उस दिन भी कहा था कि सरकार की पकड़ प्रशासन पर नहीं रह गयी है। उस दिन मैंने जिक्र किया था, लेकिन स्पेशल मेंशन मैंने दिया था और बुखार की हालत में मैं स्पेशल मेंशन पर बोलने के लिये आया था। मैंने स्पेशल मेंशन दिया था कि देश में पुनः बंटवारा करने की प्रवृत्ति जग रही है। देश पुनः बंटवारे के कगार पर खड़ा है। खालिस्तान की मांग जोरों से उठने वाली है। अभी शुरूआत है। तो सत्ता पक्ष के हाउस के जो हमारे नेता हैं प्रणव मुखर्जी साहब ये हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं विरोध पक्ष में भी रहे हैं, ये सब लोग हमारी बातों पर हंस रहे थे। माननीय मकवाणा साहब राज्य मंत्री यहां विराजमान थे। वह भी हंस रहे थे। आप कहिये तो मैं उसको पढ़ कर सुना दूंगा। हाउस में मैंने

कहा था कि हंसिय मत, यह जल्दी आपके गले में फंदा पड़ने वाला है ।

संसदीय कार्य-विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : आप क्या अपने गले में फंदा लगा कर आये थे ।

श्री रामेश्वर सिंह : मेरे गले में फंदा लगा तो आप उससे बरी नहीं रहेंगे । दोनों के गले में फंदा फस जायेगा और दोनों मारे जायेंगे ... **(व्यवधान)**

श्री उपसभापति : उस पर प्रश्न पूछिये

श्री रामेश्वर सिंह : यह प्रश्न का सवाल नहीं है । अगर आप प्रश्न कहेंगे तो माननीय पांडे जी ने प्रश्न पूछा था और केदार पांडे जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है । मैं कुछ प्रश्न खड़े करना चाहता हूं जिनका उनको जवाब देना होगा । मेरा प्रश्न यह है कि, एक-एक करके मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सरकार की टिप्पणियां रेल दुर्घटनाओं पर, प्रधान मंत्री की टिप्पणी भावी प्रधान मंत्री की टिप्पणी...

श्री अमर प्रसाद चक्रवर्ती (पश्चिमी बंगाल) : कौन हैं ?

श्री रामेश्वर सिंह : जिनको बनाने के लिये नाटक रचा गया । मैं दोनों की टिप्पणियां पढ़ रहा हूं । विरोधी पक्ष के लोगों से मैं चाहूंगा कि हमारे साथ कोआपरेट करें; क्योंकि सुनने में ज्यादा मजा आता है, बोलिये मत । मैं पहले पढ़ता हूं प्रधान मंत्री का कमेंट ।

"प्रधान मंत्री रेल दुर्घटनाओं से चिन्तित और केदार पांडे को सलाह दी कि आप अपने प्रशासन को सही करिये ।"

"पंजाब की स्थिति गंभीर--राजीव गांधी"

श्री सीताराम केसरी : आप रेल दुर्घटनाओं की बात कहिये...

श्री रामेश्वर सिंह : इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो ठीक नहीं । हम जानते हैं कि मिर्ची लगेगी, आंतों में मिर्च लगेगी । आप घबड़ा क्यों रहे हैं ? राजीव गांधी का नाम सौ बार लूं तो बुरा, एक बार लूं तो बुरा ? आप हज़ार बार लें तो अच्छा, मैं एक बार लूं तो बुरा ? हम से भी तो राजीव गांधी की तारीफ सुनिये । "कांग्रेस आई के संसद् सदस्य राजीव गांधी ने कहा कि पंजाब में स्थिति गम्भीर हो गई है, राज्य सरकार इससे निपटने में सक्षम नहीं है ।" पंजाब की सरकार सक्षम नहीं है । आपने पूरे देश में ट्रेन की घटनाओं का जिक्र नहीं किया । मगर आपने तीन चार घटनाओं के बारे में कहा । साउथ में ज्यादा हो रही हैं । लेकिन प्रधान मंत्री जी ने कहा बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र । महाराष्ट्र के बारे में श्रीमन्, क्या कमेंट हैं सुनिये ।

"उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक नहीं"--श्री राजीव गांधी । राजीव गांधी का विचार है कि वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं है । मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को राज्य में कानून और व्यवस्था सुधारने के लिए सरकारी तन्त्र को मजबूत बनाने के लिए, अधिक प्रभावशाली कदम उठाना होगा । किस पर कमेंट किया--उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पर, पंजाब की गवर्नमेंट पर । आगे चलिये--

"अन्तुले कांड भ्रष्टाचार नहीं है...

(व्यवधान)

श्री केदार पांडे : रेलों के बारे में बात करें । जितने विषय हैं देश के सब को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हाउस की परम्परा के खिलाफ है । ऐसा नहीं होना चाहिये । ला एण्ड आर्डर के बारे में

[श्री केदार पांडे]

बात करें, रेलवे सम्बन्धी बात करें लेकिन खालिस्तान, प्रधान मंत्री और राजीव गांधी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं ? वह संसद सदस्य हैं।... (व्यवधान) He is a Member of Parliament. He has ot every right to express his view.

1.00 P.M.

श्री उपसभापति : दूसरे प्रश्न मत करिये।

श्री रामेश्वर सिंह : यह किस्सा मैं पढ़ रहा हूं। ट्रेन में डकैतियां, रोबरियां होती है यह ट्रेन में ला एंड आर्डर की सिच्युएशन ठीक न होने के कारण होते हैं। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आगे चलिये।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं कह रहा था कि केदार पांडे जी हमारे अच्छे मित्रों में से हैं। हमारे पड़ौस के रहने वाले हैं। उन्होंने जिक्र किया कि लॉ एंड आर्डर की सिच्युएशन खराब है इसलिये ट्रेन में डकैतियां हो रही हैं। लॉ एंड आर्डर पर एक संसद् सदस्य जो भावी प्रधान मंत्री की कल्पना कर रहे है जिनकी मां देश की प्रधान मंत्री हैं इस पर उसके कामेंट हैं।

श्री उपसभापति : आपने सब कह दिया। अब आगे चलिये (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : मैं आगे चल रहा हूं। आपने जितना टाइम नरसिंह नारायण पाण्डेय जी को दिया उतना टाइम मुझे भी दीजिए।

श्री उपसभापति : आपका टाइम हो गया।

श्री रामेश्वर सिंह : आगे क्या कहते हैं। कहते हैं कि रोबरियां कहां हो रही हैं। रोबरियां महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हो रही हैं। कहते हैं कि वहां करप्शन भी फैला हुआ है क्योंकि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। ये हैं राजीव गांधी साहब के विचार। (व्यवधान) कल वह कहते हैं कानपुर में कि काम कम करो बात ज्यादा करो। एक-एक चीज को लेकर आया हूं। पाण्डेय जी को तो फुर्सत नहीं है पढ़ने के लिये। लॉ एंड आर्डर के सवाल पर, कल्पनाथ राय जी को कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बदतर से बदतर है। ऐसी बदतर स्थिति कभी नही थी। यहां पर फूलन देवी ने 22 लोगों की हत्या की थी और अब डकैती हुई लखनऊ और दिल्ली के बीच लखनऊ मेल में। आप भाट हैं इन्दिरा गांधी के और मैं भाट हूं चरण सिंह जी का। दोनों भाट समान हैं लेकिन भाट का कोई मापदंड होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : समाप्त करिये।

श्री रामेश्वर सिंह : मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह के विचार सुन लीजिए। ज्ञानी जैल सिंह केन्द्रीय गृह मंत्री के विचार सुन लीजिए। मैं आपको पढ़ कर बताता हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी का स्वागत करते हुए कहते हैं कि नेहरू परिवार सोने की खान है। इसमें से केवल सोना ही निकलता है। राजीव भी हमारे लिये सोने जैसे हैं। इन्दिरा गांधी के परिवार में जो भी पैदा होगा वह सब सोना ही सोना है।

श्री उपसभापति : आप अनावश्यक स्पीच दे रहे हैं। इसे समाप्त करिये।...

श्री रामेश्वर सिंह : लॉ एंड आर्डर का प्रश्न है इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि ज्ञानी जैल सिंह जी जो गृह मंत्री हैं पंजाब में

पंजाब के सवाल पर बोलते हैं। वह कहते है कि ट्रेन की डकैती रुकनी चाहिये। यह कहते हैं साम्प्रदायिकता रुकनी चाहिये ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर साम्प्रदायिकता रुकनी चाहिये। हिन्दू, मुसलमान को ट्रेन में नहीं लड़ना चाहिये। जो इन्दिरा गांधी की गुलामी करते हैं वे सब भगवान के बंदे हैं। उन्होंने कहा है कि वे सब भगवान के बन्दे हैं जो श्रीमती इन्दिरा गांधी की गुलामी करते हैं. . . (व्यवधान)।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त करिये। आप तो यह राजनैतिक भाषण कर रहे है। आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है। आप ने 12 मिनट ले लिये है। कृपा करके अब आप समाप्त करिये।

श्री सीताराम केसरी : जब कोई अपने नेता के प्रति श्रद्धा और आदर व्यक्त करता है तो इसमें आपको क्यों आपत्ति होती है? आप सरकार संबंधी जो बातें हैं वह कहिये। यह तो मूर्खतापूर्ण बात है कि अगर हम अपने नेता का आदर करते हैं तो आप उसकी शिकायत करते है. . . (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, हमारे देश में जो डकैतियां हो रही हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। यह सवाल डकैतियों से संबंधित है। जिस प्रकार से ट्रेनों में डकैतियां हो रही हैं उनसे तो ऐसा लगता है कि एक दिन श्री केदार पांडे और श्री जाफर शरीफ, दोनों मारे जाएंगे। आप इस बात को मत भूलिये। मैं रामेश्वर सिंह बोल रहा हूं। मैंने खालिस्तान के मामले पर भी यही कहा था और यह कहा था कि आप खालिस्तान की बात से सावधान हो जाइये। ट्रेनों में जो डकैतियां हो रही हैं उनके बारे में भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस मामले में सावधान हो जाइये। भाट बनना बन्द करिये।

श्री उपसभापति : आप प्रश्न पूछिये।

श्री सीताराम केसरी : आप डकैतियों की बात कर रहे हैं या विरोधी दल की तरह से भाषण कर रहे हैं?

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि श्री पांडे जी बड़े सज्जन हैं। लेकिन उन जैसे सज्जन मंत्री के होते हुए डकैतियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुर्जनों के बीच में बैठ कर वे दुर्जन से भी दुर्जन बनते चले जा रहे हैं। पांडे जी ने यह कहा है कि कोई भी डकैत 20 से 25 वर्ष से ज्यादा का नहीं है। आप जानते है कि प्रधान मंत्री जी छः महीने पहले पिकनिक पर गई थीं। उन्होंने यह विभाग दूसरे मंत्री से छीन कर आपको दे दिया और पंडित कमलापति त्रिपाठी को गंगा पर बैठ कर जाप करने के लिए बनारस भेज दिया गया। मेरा सवाल यह है कि हमारे देश में जो बेकारी है जिसमें लोगों को खाने को नहीं मिलता है और उनको रोटी नहीं मिलती है तो ये लडके डकैती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं श्री केदार पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि जब से आप मंत्री बने है तब से कितनी स्कीमें बिहार चली गई हैं और कितनी स्कीमें श्री जाफर शरीफ के द्वारा बंगलौर ले जाई गई हैं? इस तरह से आप लोग बेइमानी में लिप्त नही है तो फिर क्या हैं? जब आप इस तरह से बेइमानी में लिप्त होंगे तो फिर इस देश का क्या होगा? जब आप कहते है कि वंश अनुक्रम से प्रधान मंत्री बनाना कोई बुरा नहीं है तो फिर आपने राजा-महाराजाओं को क्यो हटाया?

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त करिये।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, अब मैं रेलवे बोर्ड की जो समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। इसमें कोई असत्य बात नही है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। मैं इस सारी रिपोर्ट को पढ़ देता हूं।

श्री उपसभापति : आप रिपोर्ट न पढ़िये । अपनी बात कहिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं कहता हूं कि जब आप लोगों को अनियमित ढंग से ट्रांसफर करेंगे, गलत ढंग से लोगों को परमोशन देते चले जाएंगे और आपने हजारों लोगों को बिना किसी कारण के जिस प्रकार से निकाला है उसकी वजह से ट्रेनों में डकैतियां नहीं होंगी तो फिर क्या होगा ? अभी तो दो चार जगहों पर ही लोगों को मारा गया है, लेकिन अगर स्थिति इसी प्रकार से चलती रही तो किसी दिन राजीव गांधी और रामेश्वर सिंह, दोनों को मार दिया जाएगा . . **(व्यवधान)** शेख मुजीबर्रहमान को नहीं छोड़ा, सादात को नहीं छोड़ा, तो वे गोलियां इंदिरा गांधी को भी नहीं पहचानेंगी . . . **(व्यवधान)** आपने स्वयं कहा है कि इसके साथ ला एंड आर्डर का मामला जुड़ा हुआ है । मैं इस सम्बन्ध में तीन-चार बातें . . .

श्री उपसभापति : कृपया समाप्त कीजिये । बहुत माननीय सदस्य इस पर बोलने वाले हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं नहीं चाहता हूं कि आप बनारस . . .

श्री उपसभापति : श्री रामेश्वर सिंह जी आप 18 मिनट बोल चुके हैं और अभी तक कोई प्रश्न निकला नहीं है । बहुत हो गया है । आप कृपया आसन ग्रहण करिये और माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं अधिक समय नहीं लूंगा ।

श्री उपसभापति : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : एक मिनट नहीं । मुझे तीन मिनट का समय दे दीजिये ।

श्री उपसभापति : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : तीन मिनट . . .

श्री उपसभापति : दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है । आप 18 मिनट बोल चुके हैं तो फिर तीन मिनट में क्या बोलियेगा ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं प्वाइंट पर आ रहा हूं । बाकी मैं पांडे जी को लिख कर भेज दूंगा ।

श्री उपसभापति : ठीक है आप लिख कर भेज दीजिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं उन संसद् सदस्यों में से नहीं हूं और मैं टी०ए० , भत्ता बनाने के लिये नहीं आया हूं और न इसलिये आया हूं कि जाफर शरीफ साहब हमारे बेटे को काम दे दो । जाफर शरीफ साहब ने अपने बेटों, रिश्तेदारों और अपने लोगों को जितनी नौकरियों में . . .

श्री उपसभापति : इसमें यह प्रश्न नहीं उठता । आपके तीन मिनट हो गये ।

श्री रामेश्वर सिंह : नहीं हुए ।

श्री उपसभापति : आप प्रश्न तो पूछते नहीं हैं । बिना वजह की बातें कर रहे हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : ट्रेन की गति को सुधारने के लिये आपका डी० एल० डब्ल्यू का कारखाना जो बनारस में है वह 250 इंजन बनाने की कैपेसिटी रखता है । उस डी०एल०डब्ल्यू जिसके लिये 80 एकड़ जमीन, आप भी वहां के रहने वाले हैं और इसके कारण आप भी परेशान हैं, आपकी आत्मा भी बहुत परेशान है, उसका क्या हुआ ? श्रीमन्, वहां इसके लिये 80 एकड़ जमीन एक्वायर की गई और जाफर शरीफ साहब आप जरा सुनिये, 80 एकड़ जमीन एक्वायर की गई और उस 80 एकड़ जमीन

को एक्वायर करने के बाद सारी मशीनरी वहां फिट कर दी गई, काम चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और वहां के कर्मचारियों ने पिछले साल 178 इंजन बनाये परन्तु इस साल कह रहे हैं कि 80 इंजन बनाओ। क्या यह सही नहीं है। श्रीमन्, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपने किसके कहने से इस कारखाने के आधे पार्ट को बंगलौर में ट्रांसफर कर दिया, किसके कहने से पंजाब में कारखाने को ट्रांसफर कर दिया? यह क्यों हुआ? यह आपने नही किया है। जो आपके आफिसर हैं उन्होंने किया है। आप देश को बरबाद नहीं कर रहे हैं, मगर ये आफिसर देश को बरबाद कर रहे हैं और इन आफिसरों से आप लोगों का रिश्ता, आपको सांठ-गांठ है। आपने अभी अखबार में दिया है कि आपका कोई पी०ए० था जो भ्रष्ट था, उसको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, वह अभी भी सरकारी नौकरी में है। क्यों नहीं उस पर मुकदमा कायम किया है।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मैं समाप्त कर रहा हूं। जब मैं कायदे की बात करता हूं तो फिर आप कहते हैं कि समाप्त करिये और जब बेकायदे की बात कहता हूं तो फिर कहते हैं बोलिये...

श्री उपसभापति : आप कृपया समाप्त कीजिये। यह रेलवे पर बहस नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर नही दिया जा सकता है। ...

श्री रामेश्वर सिंह : पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने चिट्ठी ... (व्यवधान) पंडित कमलापति त्रिपाठी दस साल तक मंत्री थे, बड़े सीनियर मंत्री थे। उन्होंने आपको लिखा था जितनी स्कीमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये लागू की गई थीं। इनका क्या हुआ? यह क्यों केवल उत्तर प्रदेश के बारे में हो रहा है, बिहार, केरल और कर्नाटक में इस तरह क्यों नहीं हो रहा है? पंडित कमलापति त्रिपाठी ने जो स्कीम लागू की थी उन स्कीमों को कैसे दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया? बनारस-गाजीपुर-बलिया ट्रेन की बात आप ले लें। इसका सर्वे हो गया था। कई लाख रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं इसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया और क्यों इसको बजट में काट दिया गया? दूसरी बात, यहीं नही मांझी पुल बनाने की बात थी। इसको 100 साल से ऊपर हो गये हैं...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते। आप समाप्त करें।

श्री रामेश्वर सिंह : एक मिनट...

श्री उपसभापति : 20 मिनट से ज्यादा समय आपने ले लिया है। आप इतना बोलते हैं परन्तु तत्व की कोई बात नहीं करते हैं।

श्री रामेश्वर सिंह : तो आप उस कारखाने को बंगलौर ले कर चले गये... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : ऐसे प्रश्न मत पूछिये। इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं होगा... (व्यवधान) कुछ नहीं होगा। यह प्रश्न मत पूछिये... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : और दूसरे दलालों से खरीदेंगे और खरीद कर कारखाने को आप चलायेंगे... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिए। आप जो रेलेवेंट हैं केवल उसी का जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : आपको इन घटनाओं को रोकना पड़ेगा. . . (**व्यवधान**) राजनीतिक बेईमानी को रोकना पड़ेगा। जो नौजवान बेकार हैं, आप उनको काम दीजिये। जब तक उनको काम नहीं देंगे तब तक ऐसी डकैती की घटनाएं होती रहेगी। अगर इनको न रोका गया तो एक दिन केदार पांडे जी का घर भी लूटा जाएगा. . . (**व्यवधान**)

श्री केदार पांडे : उपसभापति जी माननीय श्री रामेश्वर सिंह जी ने जो अपनी बात रखी है कि रेलवे के अन्दर डकैतियां होती हैं, उसी के ऊपर यह कालिंग अटेंशन है, उसी पर प्वाइंटेड रेफ्रेंस होना चाहिए। उसी के मुतल्लिक. . . (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह : उसी पर हम बोल रहे थे. . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : पांडे जी कृपा कर के जो रेलेवेंट प्रश्न हैं उनका ही जवाब दीजिये। (**व्यवधान**)

श्री केदार पांडे : मैंने पहले ही कहा है रेलों में डकैती की घटनाएं पहले से कुछ बढ़ी हैं मैं यह बात मानता हूं। अगर मैं डिफेंड करूं तब आप कुछ कहिये। मैं तो इस को मान रहा हूं। लेकिन इसमें बात यह है कि उन्होंने प्रधान मंत्री का नाम लिया, जिक्र किया। प्रधान मंत्री इस देश की प्रधान मंत्री हैं, देश की नेता हैं, हमारी नेता हैं. . . (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह : उन्होंने टिप्पणी की है. . . (**व्यवधान**)

श्री केदार पांडे : इस पर मैं चिंतित हूं. . . (**व्यवधान**) प्रधानमंत्री जी का कहना बिलकुल सही है। (**व्यवधान**) दूसरी बात उन्होंने लोक सभा के सदस्य श्री राजीव गांधी के बारे में कही। उसके बारे में उन्हें कुछ जिक्र नहीं करना चाहिये था। (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह : आप यह न कहें. . . (**व्यवधान**)

श्री केदार पांडे : वह तो आपके बच्चे के समान है। आपने जिक्र कर दिया तो मैं थोड़ा सा कह देना चाहता हूं। वे इस देश में लोक सभा के सदस्य हैं और आप भावी प्रधान मंत्री की जो बात करते है वह आपको नहीं कहनी चाहिए। यह तो लोगों पर निर्भर करता है, आप पर, हम पर तथा सब पर निर्भर करता है। इस बात का आपको जिक्र नहीं करना चाहिए. . . (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह : प्रधान मंत्री उनको. . . (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : आप कृपा कर के इसके बारे में कुछ न कहें। उन्होंने राजनीतिक भाषण दिया है, आप इस पर मत जाइये। केवल एक्सीडेंट के बारे में कहिये।

श्री केदार पांडे : एक्सीडेंट के बारे मे मैंने पहले ही पांडेय जी के प्रश्न के उत्तर में तथा स्टेटमेंट में बता दिया है कि यह कैसे-कैसे हुआ। यह जवाब मैंने पहले दे दिया है। बाकी कोई ऐसा और सवाल सामने नहीं है। हां, उन्होंने डी०एल०डब्लू० की बात कही, मेरा कहना यह है कि इसकी बढ़ोत्तरी होगी और इसका फुलफ्लेज्ड रूप से डवलपमेंट करेंगे। जहां तक कम्पोनेंट्स फार्म की फैक्ट्री की पटियाला में जो नींव डाली है इसके बारे में पहले ही निर्णय हो गया था। यह मेरा निर्णय नहीं है यह पहले ही हो चुका था। उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं हैं उनमें से मैंने किसी को ड्राप नहीं किया। (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह : बनारस की बात बोलिये, आपने कैसिल किया. . . (**व्यवधान**)

श्री केदार पांडे : यह सब कारखाने की जो भी योजनाएं थीं हमारे प्रिविअस पंडित जी जो रेल मंत्री थे उनकी किसी योजना को मैंने ड्राप नहीं किया है। इसलिए इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरा मैं क्या जवाब दूं।

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभापति महोदय, एक मिनट . . .

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही सवा दो बजे तक स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at nineteen minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at eighteen minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in the **Chair.**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मुझे स्मरण है कि जब पांडे जी ने यह पदभार संभाला था तो उन्होंने बहुत से वायदे किये थे। यद्यपि उन्ही के वरिष्ठ नेता उनके स्थान पर थे तब भी उन्होंने दबे शब्दों में उनकी भी टीका करने से गुरेज नहीं किया था और यह दावा किया था कि कमलापति जी ने जिस प्रकार से रेल मंत्रालय का भार संभाला है उसमे बहुत ही अच्छी तरह से मैं संभालूंगा। हमें कुछ आशा बंधी थी लेकिन आशाएं आज धूमिल हो गयी हैं। वह भी समय था जब देश में 70–80 साल पहले गाड़ियों में डकैतियां होती थीं। इसी स्टेशन के पास जहां लखनऊ मेल लूटी गयी है, काकोरी के क्रांतिकारियों ने भी रेल लूटी थी। यह क्षेत्र वही है। लेकिन उस समय को और इस समय की स्थिति में अंतर है। उस समय उस प्रकार की डकैती काकोरी केस की, हमारे हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का हिस्सा थी। जब कि आज की डकैती तो आजादी की लड़ाई का हिस्सा हो ही नहीं सकती, लेकिन वह भ्रष्टाचार, अनियमितता और कानून के बिल्कुल छिन्न विच्छिन्न हो जाने का लक्षण बन गयी है। हम सुधार करें, कितना करें यह मैं नहीं कह सकता। मैं और बहुत से सवाल पूछूंगा लेकिन मैं पांडे जी को एक बात का सुझाव देना चाहता कि जिसका संबंध अन्य किसी से नहीं है, केवल उनके साथ है और यदि वे उस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे तो हो सकता है कि जैसे रेल मंत्रालय आज बिगड़ता चला जा रहा है संभव है वह ठीक हो जाये। मेरा सीधा सुझाव है कि जब कमलापति जी के पश्चात् उन्होंने दावा किया था, यदि आज पूरा नहीं कर सकते, तो अपने पद का त्यागकर दें, छोड़ देना चाहिए। इज्जत इसी में है, बजाए इसके कि रोज हमारी रेलगाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहें और हमारा माल लुटता रहे। हमारी सुरक्षा अनिश्चित होती जाए। तो, कह दें पांडे जी कि मैं आज से त्याग-पत्र दे रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं देंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : प्रधान मंत्री को कह दें कि मेरे बस का रोग नहीं है, मुझे कोई और मंत्रालय दे दीजिए। आप मुझे फैमिली प्लानिंग दे दीजिए, कुछ और दे दीजिए। लेकिन बहुत हो गया पांडे जी, आपने काफी हमारी जान ले ली, हमारा माल काफी लूट लिया है, काफी लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। समय है कि you should resign—यह मेरा सजैशन है और मैं समझता हूं कि इस सजैशन को मानने में आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए; क्योंकि आप दोषी हैं और आप इस दोष को बदलने में नाकामयाब हैं। इसमें आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी बड़े भारी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल एक आवश्यकता है, वह विशेषज्ञ है आपका हृदय। उस हृदय को विशेषज्ञ यदि आप मान लें, तो कहेंगे कि मैं त्याग-पत्र दे दूंगा और मैं मांग करता हूं कि आपको त्याग-पत्र देना चाहिए।

मैं इनसे पूछना चाहता हूं—अन्य प्रश्नों के साथ क्या त्याग-पत्र देने पर भी पांडे जी विचार करेंगे। मेरा पहला प्रश्न यह है विचार तो करें।

अब लखनऊ मेल लूटा गया। सवाल यह है कि जो ए० सी० सी० का स्लीपर सैकेन्ड क्लास का था, उसके अन्दर घुसे कैसे?

सवाल है कि क्या उसके अन्दर हमारे कोई कर्मचारी मिले हुए थे ? उनके पास टिकट थे कि नहीं थे? उनका आरक्षण था कि नहीं था ? इसका जवाब मैं चाहता हूं कि व घुसे कैसे ? उनके पास टिकट थे कि नहीं थे ? लोग पकड़े गये हैं । पकड़े जाने के बाद उनमें शायद एक मारा भी गया है । उनसे जो बयानात लिये हैं, वह बयानात क्या हैं ? मैं उन बयानात को आपके सदन के सामने रखने की आवश्यकता नहीं समझता जिन को कि आप जांच में बाधक समझें । उनको बिलकुल न रखिए । कोई रखने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन उसमें से एक चीज को आपको जांच करनी पड़ेगी कि क्या कारण है कि बिहार, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर ही यह डकैतिया हो रही हैं । एक नहीं, दो नहीं, हर हफ्ते एक न एक डकैती हो जाती है । क्यों हो रही हैं, क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? जब जांच की बात कर रहे हैं, तो सामान्य एक दुर्घटना की जांच नहीं है । लेकिन इस का साइको-अनेलेसिस करना पड़ेगा कि कौन सा क्लास है, जैसे मेरे साथी ने कहा और आप भी जानते हैं, एक नवयुवक वर्ग है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, गांव का रहने वाला है वह डकैतिया करता है, इसका साइको-अनेलेसिस करना पड़ेगा । आप कोई एक कमेटी अपाइंट करिये जिसमें कि पुलिस के, क्राइम के लोग भी हों, साइकालोजिस्ट भी हों, विद्वान भी हों, टैक्नीकल आदमी भी हों, वह देखें कि आखिरकार कौन सी चीज है जोकि इन नौजवानों को ट्रेन में डकैतियां डालने के लिये बाध्य कर रही है ।

दूसरे, क्या आप कोई ऐसी टैकनीकल व्यवस्था कर सकते हैं जिस व्यवस्था से, जैसे मेरे साथी पाण्डेय जी ने कहा था कि पता लगे कि क्या हो रहा है ? क्या यह संभव नहीं कि वायरलैस सैट्स के जैसी कोई चीज हो—जो कंडक्टर्स स्लीपर में या फर्स्ट क्लास में रहते हैं, वह कम से कम और कुछ न कर सकें . गार्ड को बता सकते हैं कि हमारे यहां यह घटना हो रही है । अगर वह न कर सकें तो पैसेंजर बता सकता है गार्ड को—उन्होंने एक मैसेज दिया और वहां की वायरलैस मैसेज अगले स्टेशन तक पुलिस चौकी तक गार्ड दे सकता है । यह व्यवस्था कोई बहुत बड़ी नहीं है । मैं समझता हूं कि यह किया जाना चाहिए ।

फिर जो लालैसनैस, डकैती है, उसके दो हिस्से हैं । एक तो सामान्य डकैती होती है, माल छीन लिया और एक आर्गनाइजड है । जैसे आज की घटना है । हम नहीं कह सकते कि दो जवान थे और एक डिब्बे में घुसे, सीट पर बैठ गये और झगड़ा करने लगे, ऊपर से मिलिटरी का आफिसर था, उसने थप्पड़ मारा । उसको गोली मार दी । तो यह डकैती है या नहीं, लेकिन लालैसनैस जरूर है ।

इसके अलावा लालैसनैस एक दूसरे प्रकार की और होती है जो खास करके सैकेन्ड क्लास के स्लीपर के डिब्बे में होती है । डिब्बों के अन्दर कम्यूटर्ज चढ़ जाते हैं, दिल्ली से चलने वाले, बम्बई, कानपुर, लखनऊ से चलने वाले या जो आस पास के बड़े शहर हैं, वहां से कम्यूटर्ज चलते हैं और जो सैकेन्ड क्लास के अन्दर खास तौर से स्लीपर सैकेन्ड क्लास में जो सवारियां होती हैं, वह उन को अगले चार पांच घंटे तक, ग्यारह बारह बजे तक, गाड़ी जब तक उनके स्थान पर नहीं पहुंचती, उन को बैठने

नहीं देते है। इसका कारण क्या है। वह भी कहते हैं और कभी झगड़ा भी होता है। मैंने खुद कई बार देखा है कि वे बैठ गये हैं। एक बार तो मैंने देखा कि नये बेचारे शादी करके लड़का-लड़की आ रहे थे, उन को परेशान कर रहे थे। लड़की शरम के मारे मर रही थी। यह कई साल की बात है। मैंने इंटरप्ट किया तो मेरे सीने पर चढ़ गये--आप कौन हैं साहब, आपने ही सब का ठेका ले लिया है क्या? आखिर दो चार तगड़े जवान आये, उन्होंने ठीक किया। जहां तक मारल करेक्टर का सवाल है वहां तक का भी एक सवाल है लेकिन अगर आप कम्यूटर्स के लिये ऐसी गाडियां चला दें समय से, तो वास्तव में आधी गड़बड़ कम हो जाती है। यह लम्बा प्लान है, मैंने इस लिये इसको जोड़ा है कि गाड़ी एकदम चलाना एक अलग प्रश्न मानता हूं। लेकिन इस के साथ यह सवाल जुड़ा हुआ है कि जो गड़बड़ होती है उसका कारण क्या है? जो बड़े बड़े मैट्रोपोलोटिन शहर हैं उन में सर्वे कराइये कि कम्यूटर्स कितने चलते हैं, उन के टाइमिंग क्या हैं, जो मेल गाड़ियां चलती हैं, स्लीपर हैं, उन में वे न घुसें। दूसरे, जहां पर कोरिडर ट्रेन हैं वहां पर शायद पुलिस का पहुंचना या सहायता का पहुंचना और जुर्म का पता लगाना सरल हो सकता है। लखनऊ मेल शायद कोरिडर तो नहीं है लेकिन क्या हम, जितनी अन्य गाड़ियां चल रहीं हैं, उन के डिब्बों को परिवर्तित कर सकते हैं? मैं नहीं कह सकता मैं कोई टैक्नीकल आदमी नहीं हूं, लेकिन क्या यह संभव है जो अधिक से अधिक लम्बी ट्रेनें चल रही हैं जिनमें सैकेंड क्लास फर्स्ट क्लास स्लीपर्स हैं उन सब को कोरिडर गाडियों में परिवर्तित किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो मैं समझता हूं कई बार सहायता मिल सकती है।

दूसरे, आपने कहा है कि जी०आर०पी० रहेगी, बहुत अच्छी बात है रहेगी। उन के पास सस्त्र क्या है? क्या उनके पास--मैं इस वक्त राइफल का नाम भूल रहा हूं--एक ऐसी किस्म की बंदूक होती है जिसमें टार्गेट बहुत लम्बा चलता है साथ में फोटो आ जाती है--यह है? या उन के पास मशीनगन है? मैंने शायद फ्रन्टीयर मेल में देखा है, फौजियों की तरह के हथियार उन सिपाहियों के पास। तो उन को अच्छे हथियार देने चाहिए, चाहे जो लगे उसमें। बन्दूक देते हो, उससे काम नहीं चलेगा। यदि डकैतों को, बदमाशों को पता होगा कि जहां पर इतना इंतजाम है, थ्री नाट थ्री राइफल भी है और उस के साथ मशीन-गन्स है तो एक टेरर पैदा होता है, भय भय पैदा होता है। जब उन को लगता है जैसा हमारे पास है वैसा उन के पास तो वे सब कुछ हिम्मत के साथ करने को तैयार हो जाते हैं।

दूसरे आप ने कहा कि पुलिस का जो इंतजाम जरूर होना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस के इंतजाम में इंटेलिजेंस भी शामिल है? आज वह समय आ गया है जब कि स्टेशन पर, ट्रेन के अन्दर मामूली सिपाही के साथ इंटेलिजेंस का एक आदमी हो, दो-दो आदमी मेन गाड़ी पर सफर करना चाहिए।

तो मेरा पहला सुझाव है कि आप एक इंक्वायरी करवाइये जिसमें सारी की सारी ये बातें हों कि यह क्यों हो रहा है जो बातें कहीं गई उन को दुहराना

नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है क्या ऐसी बात तो नहीं है कि वहां पर आज जनरल एट्मोसफेयर बना है कि यहां का मुख्य मंत्री और शासन भ्रष्ट है, कुछ नहीं कर सकता और उनका लिंक नीचे तक है, इस कारण से यह हो रहा है ....

श्री उपसभापति : अब समाप्त करिये।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं आरोप के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं सुझाव के रूप में कह रहा हूं। यदि यह है तो उसकी जांच की जाये। इसके साथ, पहले जो एक प्रश्न मैंने उठाया था, क्या आप अपना त्याग पत्र देने पर विचार करेंगे ?

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री केदार पांडे : माननीय माथुर साहब की बातें मैंने सुनी बहुत ध्यान से। एक ही सवाल है सारे देश के सामने इस सदन के सामने, ट्रेनों में कहीं-कहीं डकैतियां होती है। डकैती होती है इसलिये मैं त्यागपत्र दे दूं ? हालांकि उन्होंने इस बात को उन्होंने शुरू में कहा और फिर अंत में भी कहा लेकिन क्या— Is it reasonable, is it justified?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Shri Lal Bahadur Shastri did it.

श्री केदार पांडे : यह सवाल बराबर उठता है। ऐसे केस को लेकर अपोजिशन इस बात को कहता है। हम इस को शुरू से कहते आए हैं—निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। हम डिमोक्रेसी में हैं और आप अपोजिशन में. जिनको हम निंदक कहते हैं। निंदक शब्द बुरे में नहीं हैं। निंदक के मानी हैं क्रिटिक। क्रिटिक के रूप में कहता हूं। दूसरे मानी में ईसको न समझा जाए। इसलिए उन्होंने अपनी आवाज बुलन्द की। डकैती के मानी हैं ला एण्ड आर्डर में खराबी है। वह ला एण्ड आर्डर की जैसी सिचुएशन है, जैसा स्टेट है, वह प्रोजेक्ट हो जाती है ट्रेन की डकैती में। इसलिए आप यह सुझाव दें कि ला एंड आर्डर कैसे ठीक हो ताकि रेल में डकैती न हों। जी० आर० पी० स्टेट गवर्नमेंट की फोर्स है, आर० पी० एफ० रेलवे की है। मैंने जवाब में कहा कि अभी फोर्स 20 हजार थी, उस को बढ़ा कर 26 हजार करेंगे। उस में 50-50 बेसिस पर खर्च है—स्टेट गवर्नमेंट का 50 परसेंट खर्च और 50 परसेंट रेलवे का खर्च। 3 करोड़ रुपया हम ने खर्च किया है ताकि हम फोर्स को स्ट्रेंग्थेन करें और आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० का कोआर्डिनेशन और मजबूत हो। इस के बारे में अभी हाल में केबिनेट सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई कि किस तरीके से हम इस काम को करें। हम सब चिन्तित है, प्राइम मिनिस्टर चिन्तित हैं कि ला एंड आर्डर कैसे ठीक हो। उस के लिए जरूरी है कि फोर्सेज ठीक हो, कोआर्डिनेशन ठीक हो। फिर मैंने यह भी कहा कि नाइट में जो इम्पारटेंट ट्रेन्स चलायेंगे उन में आर्म्ड गार्डस देंगे जी० आर० पी० के। वह लागू होने जा रहा है। यह सब कंस्ट्रक्टिव बातें आप को कहनी चाहिए, लेकिन एक बात आप ने कह दी कि आप रिजाइन करिये। (व्यवधान) माननीय कमलापति त्रिपाठी की तुलना हम से न करें। वह हमारे कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं, और इस में कोई कम्पटीशन

की बात नहीं है । उस को आप को प्ले-अप नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी की हुकूमत है, कांग्रेस की हुकूमत है जिसकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, हम जितने आदमी हैं सब एक पार्टी के हैं । मिनिस्टर आज हैं, कल न हो, और कोई हों, यह दूसरी बात है । लेकिन इस को प्ले-अप नहीं करना चाहिए । अपोजीशन का यह रोल ठीक नहीं लगता । ला एंड आर्डर को सुधारने का सुझाव दीजिए । वह सुझाव मैंने रखा है । एक दूसरी बात यह कही कि फोर्सेज, को मजबूत कर रहा हूं । आर० पी० एफ०, जी० आर० पी.....

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: The hon. Minister is saying about the role of the Opposition. The Opposition is not there just to oppose... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. (*Interruptions*)

SHRI KEDAR PANDE: You must allow me to speak.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: You are here to... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him complete.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैंने कई सुझाव दिये, उन के उत्तर दीजिये । पांच छः सुझाव मैंने दिये हैं ।

श्री केदार पांडे : मैंने बताया कि मैं यह करने जा रहा हूं ।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: He should talk sense. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gopalsamy.

SHRI V GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir,...

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: It is like Ali Baba and forty thieves. How can they behave like this? (*Interruptions*)

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Deputy Chairman, travelling by train now has become a journey into fear. The passenger in a train is not certain whether he will reach his destination before destiny will get him. That is why a cartoon, a correct cartoon, appeared in a newspaper in which a train passenger, a smiling passenger was being garlanded by everybody because of the simple fact that he had come back safely from a train journey, escaping from the dangers of accidents and also robberies and dacoities. The hon. Railway Minister gave a statement giving the figures of incidence of robberies and dacoities between the years 1978 and 1981. But, Sir, the hon. Minister has not given the number of casualties, that is, how many persons were killed, and the value of property which was looted. Also, Sir, the hon. Minister made a correct assessment that the incidence has been on the increase. Sir, a news item appeared in today's Stateman wherein, the hon. Minister, Mr. Kedar Pande, has made a statement at Calcutta saying that train dacoities were decreasing. I would like to know whether this statement is a correct statement or it has been wrongly quoted by Statesman. Yesterday, the Minister made a statement at Calcutta that dacoities were decreasing and today, on the floor of the House, he admits that the number of incidents is increasing. What is the correct picture? I would like to know from the hon. Minister whether the statement is correct or not. Yesterday, he stated in an interview that dacoities are decreasing. It has appeared in today's newspaper.

In another incident, an I.A.F. Officer, Mr. Chandra Shekhara Iyer, was murdered. It was referred to by another Member.

[Shri V. Gopalsamy.]

The Minister says that steps are being taken to stop this particular menace in trains. I would like to know from the Minister what steps have been taken to evolve a common formula for joint action between the States and the Railway Department. The Minister was telling that the States have not agreed to the formula of the Central Government to share 50 per cent of the expenditure. But, Sir, nobody can shift his responsibility. This is the responsibility of the Railway Ministry. When a person travels by train, the security of his life and property is the responsibility of the Railway Ministry.

I would draw your attention to another matter which is a very serious one. It shows the condition of our railway coaches. The other day, on 22nd October, a spine-chilling incident occurred. Mr. Jankiraman, Manager of the General Electric Company, Madras, was travelling by Allahabad-Varanasi passenger train with his family. All of a sudden, some persons entered the train. He was shot at point blank range and killed. Actually, he took his family to Varanasi to have 'darshana'. But, unfortunately, his body was cremated at Varanasi. When some people tried to stop the train, there was no alarm chain. One person was attacked. Mr. Jankiraman interrupted and tried to stop the train. The other passengers also tried to pull the alarm chain. This has appeared in newspapers. There was no alarm chain. This is the condition of our coaches. Our coaches are not in a good condition. The armed guards are not there in adequate numbers. Their strength should be increased. There is no meaning in saying that you are corresponding with the State Government. This is the responsibility of the Railways and also of the State Government. A correct formula should be evolved as quickly as possible. I would like to know whether a suitable system will be evolved for anticipating events by streamlining the intelligence agencies. Also, the follow-up action should be speeded up. The investigation process is very slow. Once an occurrence takes place in a train, there is no investigation and the culprits escape. The investigation process should be speeded up. Also, a correct formula should be evolved to take joint action both on the part of the State Government and also by the Railway Ministry. I would also like to know whether the statement made by the Railway Minister at Calcutta is correct or not.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't repeat the same thing over and over again. Hon. Minister. Please be brief.

SHRI KEDAR PANDE: Sir, Mr. Gopalsamy mentioned about my statement. I have given certain statistics in the House stating that there has been increased in the incidents of robbery, and dacoity. This is correct. If it is mentioned otherwise there, that should be corrected.

SHRI V. GOPALSAMY: So, that statement is not true.

SHRI KEDAR PANDE: That is what I mean. The figures I gave here —223 in 1978, 253 in 1979 and 351 in 1980—are correct.

SHRI V. GOPALSAMY: That means you were wrongly reported.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is obvious. Let him speak.

SHRI V. GOPALSAMY: I want to know whether he was misreported by the Press.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The statement made in the House is correct. You cannot depend on press reports.

SHRI KEDAR PANDE: I admit that. There is a certain discrepancy in regard to law and order in our society. The situation is not perfect at present, especially in three or four

States such as Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra. I have mentioned that there was dacoity and we are sorry for it. We all feel distressed about it. We are rather worried. What is the solution? The solution is that we must coordinate the activities of the RPF and the GRP. We have added 6,000 persons to the strength of the GRP and we have spent nearly Rs. 3 crores, and we have made arrangements to run important trains accompanied by the armed guards. All these measures we have taken. The other measures that we are going to take have been given in the statement which is before the House. What else do you expect from me? These are the possible and practical things that we are doing. Already I have said that the situation obtaining in a State is projected in the railway accidents and murders. So far as coaches are concerned we all know that there are 25,000 coaches in the country at present out of which 7.500 coaches are overaged. Every year we are adding 1,200 new coaches. This is a transitional period. A day will come when all the trains will be running smoothly. Today we are passing through a transitional period so far as coaches are concerned and so far as passenger traffic is concerned. These are all mixed up together This must be understood and appreciated. That is all what I can say.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : मान्यवर, रेल मंत्री महोदय ने कहा कि रेलगाड़ियों में डकैती, लूट, हत्या इत्यादि का सिलसिला दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिलसिला ज्यादातर किन राज्यों में सीमित है। नाम भी उन्होंने बताये--बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों के नाम भी उन्होंने बतलाये। तो यह बहुत ही गम्भीर वक्तव्य रेल मंत्री का है। मैं विषय से बाहर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता हूं। कि उन राज्य सरकारों के बारे में मकवाना जी क्यों नहीं बोलते हैं जहां रेल यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। वे दूसरे राज्यों के ला एण्ड आर्डर के बारे में बोलते रहते हैं। कभी वैस्ट बंगाल, कभी केरल के बारे में बोलते हैं, लेकिन कभी उत्तर प्रदेश के बारे में, कभी महाराष्ट्र के बारे में नहीं बोलते हैं। मगर देवली गांव में जो हरिजनों का नर-संहार हुआ, जहां पर चुनाव नहीं होता है, जहां पर गाड़ियों में घुसकर लोग हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, उनके बारे में नहीं बोलते हैं। आप कम से कम यह राजनीतिक पक्षपातपूर्ण बयान देना बन्द कर दीजिए। मैं पांडे जी के बयान को इस हद तक सही समझता हूं कि बाहर की जो स्थिति रहेगी उसके असरात रेल यात्रा पर पड़ेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि इस सीमित दायरे में आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिये। इसके लिये सबसे बड़ी जरूरी चीज यह है कि हमारे जो रेल अधिकारी हैं, रेल कर्मचारी हैं उनका मनोबल ऊंचा हो। उनमें सक्रियता हो। हम को अफसोस के साथ कहना पड़ता है वह आज नहीं रह गया है और इसके लिये खुद रेल मंत्रालय की नीति जिम्मेदार है जब हमारे पांडे जी ने रेल मंत्रित्व संभाला था उस वक्त एक नीति मूलक बयान दिया था। वह बयान यह था कि किसी रेल अधिकारी को जब कि उसका सेवा काल समाप्त हो जाता है तो उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। इस आधार पर उन्होंने बहुत से अधिकारियों को सेवा-निवृत्त भी कर दिया था। नीति तो बनाई गई लेकिन उसका आगे पालन नहीं किया गया। उस नीति को तोड़ दिया गया। जिन रेल अधिकारियों को सेवा निवृत्त होना चाहिये

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

था उनकी सेवा-वृद्धि करना इन्होंने शुरु कर दिया ।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Quite right.

श्री योगेन्द्र शर्मा : अगर ऐसा होता रहेगा तो कैसे रेल अधिकारियों का मनोबल बना रहेगा । कम से कम आप इस तरह को चीज को मत कीजिए । आप एक नीति रखिये और उस नीति का ठीक से पालन कीजिए । एक के लिये एक नीति और दूसरे के लिये दूसरी नीति यह ठीक नहीं है । इससे रेल अधिकारियों का मनोबल कायम नहीं रह सकता । इससे आप न तो रेलवे की सेवा सुधार सकते हैं और न रेलवे प्रशासन को सुधार सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने रेल बोर्ड से चक्रधरपुर डिवीजन के 9 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी और आज तक रेलवे बोर्ड चुपचाप बैठा हुआ है जबकि उनके ऊपर बहुत ही संगीन इल्जाम हैं । उन्होंने 'डिस्को' के मालिको से मिलकर करोड़ों रुपये का घाटा रेलवे को दिया ह । आप राज्य द्वारा उनके ऊपर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगने पर क्यों नहीं इजाजत देते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उनको जल्दी से जल्दी इजाजत देंगे ?

तीसरी बात यह है कि क्या यह संभव है कि रेल मंत्री महोदय ने लखनऊ-नई दिल्ली मेल के बारे में जो विवरण दिया उससे स्पष्ट है कि इस तरह की चीज तब तक नहीं हो सकती जब तक अपराधकर्मियों और पुलिस में सांठगांठ नहों । हम लोग भी रेल यात्रा करते हैं । हमें अनुभव है । इधर आप कहते हैं कि हम ऐसे ही पुलिस वालों का दल बढ़ा कर हम अपराध पर नियंत्रण करेंगे । यह कैसे होगा । यह नहीं हो सकता । इसी के साथ यह भी बतलाया कि एक तरफ आर.पी.एफ. और दूसरी तरफ जी. आर. पी. । आर.पी.एफ. एक दिशा मे है और दूसरी दिशा में जी.आर.पी. है । यह द्वैत शासन है । रेलवे में जब तक यह द्वैत शासन चलेगा तब तक आपस मे लड़ते रहेंगे और मुसाफिर परेशान होते रहेगे, लूट पाट होती रहेगी । अपराधकर्मियों का बोलबाला रहेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस द्वैत शासन का अन्त करेंगे ? मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि आप इसे आर. पी. एफ. कोदीजिए या जी.आर०पी. को दीजिए। हमारा कहना यह है कि जब तक यह द्वैत शासन रहेगा तव तक आप मुसाफिरो को रेलवे में सुरक्षा नही दिला सकते ।

श्री केदार पांडे : माननीय सदस्य ने बताया कि जब तक रेल कर्मचारियों का मनोबल नहीं उठेगा तब तक कठिनाइयां बनी रहेंगी । इनका पूरा सहयोग आपको चाहिये । हमने एक-दो कदम उठाये हैं । एक्सटेंशन के मैं एकदम खिलाफ हूं । आज भी मैं सदन में कहता हूं कि मैंने यह काम शुरु किया था और आज भी उसको मैनटेन करता हूं । एक्सेपशनल एक-आध केस हो सकता है ।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Why?

श्री केदार पांडे : मैने कहा था, आप देख लें कि जनरली हम एक्सटेंशन कभी नहीं देंगे । लेकिन अगर कहीं हुआ है तो एक्सेपशनली एक-आध केस में

हुआ होगा । इसको रूल-आउट नहीं कर सकते । इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन को हमें चलाना है और हम उसको चला रहे हैं ।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: May I seek a clarification? (*Interruptions*) He is not right. (*Interruptions*) I would like to know from the Minister, what is the policy in regard to giving extensions? (*Interruptions*)

श्री केदार पांडे : श्रीमन, आप जानते हैं कि किसी भी इडमिनिस्ट्रेशन में कोई सा फास्ट रूल नहीं हो सकता है कि ऐसे तरह से काम नहीं किये जा सकते हैं । मिनिस्टर के कुछ डिसक्रिशन्स भी होते हैं क्योंकि उनको सरकार को चलाना है । आपको प्रेक्टिकल बातों को सोचना चाहिए । लेकिन हम यह कह देते हैं कि एक्सटेंशन देने की जो एक धारा चल रही थी उस धारा को हमने बन्द कर दिया । उस वक्त एक बोर्ड के चेयरमैन थे और तीन मेम्बर एक्सटेंशन पर थे । 48 घंटों में चार्ज लेने के बाद हमने उनके एक्सटेंशन को खत्म कर दिया । आज भी हम उसी नीति को रखते हैं और उसी नीति पर चलते हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने भी श्रमिक वर्ग में काम किया है और उनके मनोविज्ञान का पता किया है । रेलवे वर्कर्स की तरफ से और खासतौर पर आर. पी. एफ. के लोगों की तरफ से यह मांग की गई थी कि उनको भी बोनस दिया जाय । हमने आर.पी.एफ. के जवानों को 50 रु. प्रति माह राशन मनी के रूप में दिये हैं । आप जानते हैं कि यह 65 हजार लोगों की फोर्स है । हर एक जवान के हमने साल में 600 रु. बढ़ा दिये हैं । यह राशन मनी है, बोनस नहीं है । आप देखिये कि इससे आर.पी.एफ. के जवानों का कितना मनोबल बढ़ा है । आप इस बात को भी देख लीजिये कि 23 दिन के बोनस की मांग की गई थी । हमने 24 दिन का बोनस दिया । मैं मानता हूं कि हम एक एनलाइटेन्ड इम्प्लायर हैं । हम एनलाइटेन्ड एम्प्लायर में विश्वास रखते हैं । एनलाइटेन्ड इम्प्लायर की परिभाषा यह है कि कर्मचारियों की जो मांग हो उसको जल्दी दे दिया जाय । उनकी साइकोलोजी का हमने अध्ययन किया है और उसको पूरा किया है । इन बातों से रेलवे कर्मचारियों का मनोबल आगे बढ़ा है और उनका सहयोग हमें मिला है । हम घुलमिल कर काम कर रहे हैं । आप देखिये कि हमारा कितना फ्रेट ट्रेफिक बढ़ा है । रेलवे के इतिहास में यह अनपैरेलल है । पूरे मुल्क में फ्रेट ट्रेफिक बढ़ा है । 215 मिलियन टन से भी ऊपर हमारा फ्रेट ट्रेफिक चल रहा है । जिस स्पीड से यह हुआ है उसमें हमें रेलवे कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिला है । रेलवे में अनुशासन भी आया है । इंडियन रेलवेज के पांच आसपैक्ट्स हैं-- पैसेंजर्स ट्रेफिक, फ्रेट ट्रेफिक, डिसिप्लिन, थैप्टस, चोरियां और डकैतियां । उसके साथ-साथ यह बात भी है कि जो हमारा रोलिंग स्टाक है वह भी ठीक रास्ते पर आए । उसके साथ-साथ सेफ्टी और पंक्चुएलिटी का भी सवाल है । इस तरह से ये चार-पांच विषय हैं जिनका संबंध रेलवेज से हैं । इनको हमने एनालायज किया है और हम आगे बढ़े हैं । जहां तक एक्सीडेन्ट्स की बात है, यह ठीक बात है कि पिछले पार्लियामेंट के सेशन के दौरान सिरीज आफ एक्सीडेन्ट्स हुए थे । लेकिन इधर भी कुछ एक्सीडेन्ट्स हुए, बिहार में एक एक्सीडेंट हो गया । यह कोलीजन की वजह से हुआ । लेकिन आप पहली बात को ही

[श्री केदार पांडे]

लेकर चलते जायें और उसी गीत को गाते चले जायें तो यह ठीक नहीं है। आप बार-बार उसी गीत को गाते हैं। आप कोई ठोस सुझाव दीजिये। गीत गाइये गीत गाने से अगर कोई फायदा हो जाय, रेल सुधारी जाय तो कहिये। लेकिन हमको आप पूरा सहयोग दें। इसलिये मैं कहता हूं कि यह जो होता है इसके बारे में जरूर हम सीरियस है और इस बारे में सोचते हैं। तीन स्टेट्स की अभी बात हुई, बाकी जगह कहीं कहीं है। इन तीन स्टेट्स में ज्यादा है, इसलिये उनका जिक्र किया है। 50 प्रतिशत पार साल तय किया था और तीन करोड़ रुपया इस साल दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें 3 करोड़ रुपये की पूंजी लगा रहे हैं और आगे चलकर इसको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, हमने पूछा था कि बिहार गवर्नमेंट के उन नौ कर्मचारियों के खिलाफ..

श्री उपसभापति : मुकदमा चलाने के बारे में...

श्री केदार पांडे : उसके बारे में विचार करेंगे, कोर्ट में है।

SHRI SANTOSH MITRA (West Bengal): Sir, I rise to protest against the murders and dacoities prevailing in the Railways. I thank the Railway Minister for giving certain assurances. But I am afraid that more the assurances that he gives, the more are the accidents and robberies that take place. He has said that the law and order situation of the three States has been projected in the Railway incidents of robberies and dacoities. The hon. Minister belongs to the Congress Party and his party is running the Government. The three Governments of U.P., Bihar and Maharashtra are also run by the Congress Party. What steps have been taken? Why do they not take it at the party level in order to discipline the State Governments and compel them to take action. They are shouting about the law and order situation in other States. Mr, Chairman, this matter does not concern the Opposition alone. It concerns the whole country. The dacoits will not spare the Congress Party Members and the ruling party Members will not escape if accidents take place. I hope that the Members of the Treasury Bench will also express their concern like us. Even the Lok Sabha Members, Shri Rajiv Gandhi, has expressed his concern at Patiala with regard to the Railway accidents and railway crimes When the Railway Minister claimed improvement in the performance of the Railways, the Ruling Party Member of Parliament snubbed him. This has appeared in "Patriot" of 24th October. Therefore, he should have taken lesson earlier. He has assured the House about certain measures. If these things become successful, I shall welcome it. I suggest that a Parliamentary Committee should be set up to go into the matter and to investigate the cause of accidents and crimes. *(Time bell rings)* I would ask the Railway Minister as to how many enquiries have been made, how many reports have been published bringing the causes to the notice of the public and the many culprits have been published. He has mentioned certain causes. I think one of the causes is that during the Railway strike of 1975, the Congress Party recruited the hoodlums and anti-social elements in the Railway Administration for breaking down the railway strike. The Government proved strong enough to crush the democratic movement of the railway workers during the loco strike but could not check railway crimes. He is simply admitting the facts and

assuring us. But all these years why had the steps not been taken? In a civilised country, it is unthinkable and in no civilised country such a Minister would have been in his office. And he should have resigned earlier. And the Railway Minister enjoys the dubious distinction of having more number of railway accidents during his short period in office than any of his predecessor. Again, I repeat that a Parliamentary Committee should be set up. And the Chief Ministers and other persons in authority of those concerned States should be called to a conference on how to check this law and order situation and how to check the crimes in the Railways. Thank you, Sir.

3 P.M.

श्री रामेश्वर सिंह : मां बेटा दोनों फेल हैं। राजीव गांधी टोटल फेल हैं.. **(व्यवधान)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rameshwar Singh, please don't disturb. (*Interruptions*) Don't record Mr. Rameshwar Singh.

श्री रामेश्वर सिंह : ......*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you please reply to Mr. Mitra.

श्री रामेश्वर सिंह : ......*

SHRI KEDAR PANDE: Sir, there has been a lot of discussion on accidents, rather there was an Adjournment Motion with respect to this item, and we have discussed thoroughly this subject of accidents. So, nothing I wish to further add. That is number one. Secondly, unless there be complete collaboration and co-ordination between the RPF and the GRP, we cannot succeed. But we are attempting to have that co-ordination. These are the two important things. So far as the dacoity is concerned, I have nothing to add. I have already replied to that.

श्री रामेश्वर सिंह : सब डाकू कांग्रेस पार्टी में घुसे हुए हैं ... **(व्यवधान)**

श्री उपसभापति : श्री रामेश्वर सिंह जी आप बैठ जाइये। आप आधा घंटा बोले। आप आधा घंटे तक भाषण देते रहे तो भी आप को कोई संतोष नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है। आपको नियंत्रित करने का.. (व्यवधान)

Don't record Mr. Rameshwar Singh.

श्री रामेश्वर सिंह : ....*

श्री उपसभापति : यह आपको अधिकार नहीं है कि आप जब चाहें खड़े हो जाएं

श्री रामेश्वर सिंह : ....*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't take down Mr. Rameshwar Singh.

श्री रामेश्वर सिंह : ....*

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वर सिंह : ....*

श्री उपसभापति : रामेश्वर सिंह जी आप इस तरह से करेंगे तो.... **(व्यवधान)**

श्री रामेश्वर सिंह : ....*

श्री उपसभापति : यह आपको मैं मौका नहीं दूंगा, आप निश्चित रहिये। जितना भी आप अभद्र व्यवहार करें, अनुचित व्यवहार करें यह अवसर मैं आपको नहीं दूंगा।

श्री रामेश्वर सिंह : ....*

श्री उपसभापति : सारा सदन देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों बहस कर रहे हैं।

श्री सीताराम केसरी : उपसभापति जी, उन्होंने चेयर को पक्षपातपूर्ण कहा है, इस शब्द को उन्हें वापिस लेना चाहिए।

*Not recorded.

श्री रामेश्वर सिंह : देखिये, मैंने चेयर को नहीं कहा ।

श्री उपसभापति : अगर चेयर को कहा है तो वापिस ले लीजिए । अगर नहीं तो नहीं ।

I have to make an announcement. I have to inform the hon. Members that the Finance Minister will be making his statement as 5 P.M. and the House will sit till his statement is completed.

The Home Minister is to make a statement. And, I think, he can make the statement after the Calling Attention motion.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Let the Calling Attention be over.

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या स्टेटमेंट है, इस विषय में पहले तो हमें कोई सूचना नहीं दी गई ।

श्री उपसभापति : आप एजेंडा में देखिये इसमें है । डा० सिद्धू, आप कृपा करके संक्षेप में पूछिये क्योंकि सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

DR. M. M. S. SIDDHU (Uttar Pradesh): Sir, I will take just two minutes. I happened to travel by the same train and, Sir, I will request the hon. Railway Minister to correct his statement which was full of inaccuracies. The train did not leave in time at 9.35 p.m. as stated in his statement. The Gorakhpur bogies were late to be connected. The train started nearly 45 minutes late from Lucknow. Secondly, Sir, it is a practice with the 29-UP that the checking staff checks the tickets from the rear, from the last bogey, and proceeds towards the engine side, but here the checking staff checked the bogies from the engine side and then came towards the rear side, where the second class A.C. bogey, which was called Gorakhpur bogey to Delhi, was there. And, it was at that time when the TTE knocked twice or thrice, once at Balamau, and earlier at Sandila, that doors were not opened. He then got suspicious that something was going on and wondered why the attendant did not open the doors. Then, after that, it was the railway people who pulled the chain. It was not the so-called dacoits or anti-social elements who pulled the chain. These are the facts which have been narrated to me by the persons who were there, as I was travelling on the same train. You can yourself understand. Sir, that whenever a person is going to pull the chain he will pull it at a place from where he can get down and get into a fast moving vehicle, by which he can cover himself. He will not do it at Hardoi. How can they flee like that. They had bolted it from inside and for one and a quarter hours they were looting and doing all sorts of things. It took such a long time for them to do.

It is also reported, Sir, that the police staff, the RPF and the GRP was not allowed to get into it, and it is said that the GRP was not permitted by the coach attendant. His explanation was that the presence of the police men inside the coach was resented to by the VIPs. So, this GRP staff was in the coach next to it. Now, these are some of the facts, as I know them.

Now, whatever you may say, you will find in practice that persons enter the coach in spite of the coach attendant, that the poor coach attendant cannot do anything and that he gets pushed in by the persons who enter the coach. The position is that people sleep in the corridors with the result that you cannot go to bathrooms. I have travelled myself by the 29-UP and 30-DN between Lucknow and Delhi. Even last time, Sir, it was impossible for me to go from one side to the other side because people were lying inside the corridors of the first class. That is the state of affairs. No GRP and RPF will be able to remove those persons from there. Otherwise, the train will have to be detained at each and every station where the people are board-

ing and getting down. So, what are you going to do, that is the question? The number of persons who push themselves in without reservation and occupy those seats are many and sometimes they go in groups who overpower you, threaten you and abuse you. What are you going to do about it? Sir, the number of people who travel outside is larger than the number of people who travel inside. What are you going to do about all these things. These are the problems as far as the checking stage is concerned. You have to find out if the checking staff was there alert before Hardoi. Could they have not found it out? Could they not have checked it up at Lucknow or Balamau or at Sandilda? Why after Hardoi? And then the train is brought back. These are some of the points which need clarification. I do not want to go into the law and order situation because it is a general question. I would request the hon. Minister to see to these aspects, because reservation today has lost meaning for the passenger because large number of persons are allowed to get into the coach without reservation and they force their way through muscle power.

SHRI KEDAR PANDE: As has been reported to me by the officials, the train left Lucknow at about 21.35 hours, that is, 9.35 p.m. but as the hon. Member says that the train was late. I shall enquire into the matter.

DR. M. M. S. SIDDHU: Shri Sibte Razi, another hon. Member of this House was also travelling.

SHRI KEDAR PANDE: I shall try to find out whether the train was late, but as has been reported to me, the train started at 21.35 hrs. from Lucknow. This is number one. Now, it is a fact that there was no GRP, no RPF in that particular air-conditioned second-class coach, and investigation is going on as to why they were not so careful. So far as the coach attendant is concerned, one of them by the name Hazari Singh has been under suspension and an investigation is going on and after the investigation is completed, we shall see . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Does it mean that there was no attendant and technician inside the coach?

SHRI KEDAR PANDE: But one of them was there, that is what has been reported to me, and as has been reported to me, he was terrorized by the dacoits and he was not able to open the door. That is the position. These are the facts and the facts cannot be denied. What the hon. Member has said, I shall look into the matter and see that the culprits or the persons responsible are duly punished.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Sir, the statement of the hon. Minister describes an incident of the 30th of October but these types of incidents are taking place in almost all the railways. Only recently, in my own State near Bhadrak, there was a very big robbery in the Express train. What is worrying me most is that the statement which the hon. Minister read out to us only describes of the incident that took place to 29 UP Lucknow Delhi Mail. It does not express any concern about it and if you kindly scrutinise it, it appears that the attitude of the Railway Minister to this kind of incidents or robberies or dacoities is one of routine, they think that these accidents or incidents take place as a matter of routine and, therefore, they also treat it as part of routine and a statement is made in the same routine manner which is really a matter of grave concern to us.

Secondly, I would submit and draw your attention to the kind of insensitivity of the Railway Ministry to this type of incident. After all, we raise these questions on the floor of Parliament so that some seriousness should be injected into not only the Railway Minister but also the Railway Ministry and the Railway Board and other officials and we notice that there is

[Shri Narasingha Prasad Nanda]

a progressive increase in these incidents and naturally one feels that they are insentive to this situation and to this criticismi on the floor of Parliament. There is no point also in our carrying on this kind of routine, unless the hon. Minister comes forward with some kind of seriousness and tries to take to task the higher officers. He has just now narrated that a particular small officer of the Railways has been put under suspension as if it is going to solve the problem of robberies and dacoities in trains.

Now, I will make a very concrete and a very constructive suggestion to the hon. Minister. This problem has been discussed on the floor of this House umpteen times, the problem of lack of co-ordination between the RPF and the GRP. Even when Shri Kamlapati Tripathi was the Minister of Railways, I had raised this question and he had agreed with me. Let him refer to the earlier debates and he will find it out. The problem is, there is no co-ordination between these two organisations. Now, we will have to think whether mere co-ordination is enough, or, there should be some basic change in our thinking. What is necessary is the integration of these two services. At that time, the then Railway Minister was inclined to accept this suggestion of integration of these two services so that there will not be two establishments not two authorities, which has resulted in this situation of lack of co-ordination, but one integrated service so that they can be more effective in checking crimes in trains. I would like the hon. Minister to respond to this particular suggestion, not in regard to co-ordination, but in regard to integration of these two services.

SHRI KEDAR PANDE: Sir, I have already said that there should be complete co-ordination between the RPF and the GRP and in respect of this there was a... *(Interruptions)* Please hear me.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR (Maharashtra): This is not a serious answer. He says, there should be complete co-ordination. But the hon. Member has pointed out that there is no co-ordination.

SHRI KEDAR PANDE: The hon. Member has suggested that there should be complete integration of the RPF and the GRP. This is what he means. I was talking of co-ordination between the two wings. Now, there is the RPF Act and as per this Act,..

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: This can be amended.

SHRI KEDAR PANDE: Please hear me. Now, there is the RPF Act and as per this Act, the RPF is simply a watch and ward of the Railways. They have no powers, as in the case of the Police. Unless we make amendments to this Act, to bring about complete integration, at present, it is not possible ... *(Interruptions)* As I said, we are trying to bring about co-ordination. In that connection, a meeting has been held, which was attended by the Prime Minister and the Chief Ministers. We had a discussion on this and we are going ahead.

Now, complete integration means what? As it is, as I said, they have no powers, as in the case of the Police. This is what he wants should be done. Unless we make amendments to this Act it is not possible at present ...

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Why don't you do it? *(Interruptions)*

SHRI KEDAR PANDE: I do realise your urgency. I know it. I appreciate your views. Unless we make amendments to this Act,...

SHRI MANUBHAI PATEL (Gujarat): Bring those amendments. We will pass them unanimously.

SHRI KEDAR PANDE: We shall think over it. Not at present. But this is under the active consideration of the Government.

STATEMENT BY MINISTER

Tragic incident in village Deoli District Mainpuri, U.P. on November 18, 1981, resulting in death of 24 Harijans

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the hon. Minister of State for Home Affairs will lay the statement on the Table of the House. This statement will be circulated to the hon. Members. Tomorrow, after Question Hour, there will be no Calling Attention and the Home Minister will reply to the clarifications sought by the hon. Members. This has been decided.

SHRI LAL K. ADVANI (Gujarat): Sir, I fail to understand why this kind of procedure is being adopted. This is a very serious matter. This tragedy, this carnage, in Deoli cannot be brushed aside by the Government giving their version today and allowing us to have our say tomorrow. This is not a proper course. We want a fullfledged discussion on this. This statement should not be laid. There should be no statement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Home Minister was busy in the other House. Therefore, we had to take up this Calling Attention and we could not take up this matter. (*Interruptions*). The statement is to be made by the Government today. He will make the statement and tomorrow the Members will seek clarifications.

श्री योगेन्द्र शर्मा: (बिहार) दोनों चीजें साथ होनी चाहिए, नहीं तो कालिंग अटेंशन का कोई मतलब नहीं रह जायेगा। मिनिस्टर को जो स्टेटमेंट करना हो वह भी कल हो...

SHRI ERA SEZHIYAN (Tamil Nadu) I would like to suggest that there should be a full-fledged discussion. Clarification is different from full-fledged discussion. (*Interruptions*).

SHRI LAL K. ADVANI: The police has failed to protect the Harijans. The Home Minister has admitted that. It is a public admission.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has not denied it

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार): उपसभापति जी, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होता है तो डिस्कशन अभी शुरू होना चाहिए। इतना बड़ा घृणित कांड हुआ है, ऐसे काम को टाला नहीं जा सकता। कालिंग अटेंशन यहां भी था, आप ने नहीं दिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Otherwise, this Calling Attention was not to be admitted today. (*Interruptions*). That is the difficulty.

श्री योगेन्द्र शर्मा: यह बहुत स्पष्ट है। प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए दोनों चीज साथ होनी चाहिए। अलग-अलग टुकड़ा कर देने से आप उस को डायल्यूट कर देते हैं।

श्री भोला पासवान शास्त्री: यह सदन चाहता है कि अगर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट होगा तो डिस्कशन अभी होगा। अगर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट कल होगा तो डिस्कशन उसके बाद होगा। हाउस यही चाहता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special mention. Shrimati Monika Das.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Sir, what is your decision?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : (आंध्र प्रदेश): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपसभापति: स्टेटमेंट अभी होगा, क्लेरीफिकेशन उस के बाद ही हो जायेगा। आप अभी चाहते हैं, अभी हो जायेगा।

श्री भोला पासवान शास्त्री: हो नहीं जायेगा, डिस्कशन आप को एलाऊ करना पड़ेगा।

श्री नरसिंह प्रसाद नन्द (उड़ीसा) : फुल डिबेट होगा।

श्री उपसभापति : वह आज नहीं हो सकता।

SHRI MANUBHAI PATEL (Gujarat): You will have to clarify whether there will be clarifications or a discussion. You clarify, what will it be?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: On a statement there will be clarifications, no discussion. That is the procedure. There cannot be a discussion on the statement. When there is a Calling Attention, you can have a discussion.

SHRI BHOLA PASWAN SHASTRI: No clarification. The Opposition wants a full discussion on this subject.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then in that case, I would request you that the Business Advisory Committee is meeting tomorrow evening and an intimation might be issued to all the Members...

SHRI LAL K. ADVANI: We cannot wait till tomorrow. देवली की घटना ऐसी है...

श्री उपसभापति : इसी लिए मैं कह रहा हूं कि क्लेरीफिकेशन आज कर लीजिए।

श्री योगेन्द्र शर्मा : सिर्फ क्लेरीफिकेशन का सवाल नहीं है; बहुत अहम सवाल इस में जुड़े हुए हैं। लोग अपने-अपने विचार रखना चाहते हैं।

श्री उपसभापति : क्लेरीफिकेशन में विचार रखिए।

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्लेरीफिकेशन में पूरे विचार नहीं आ सकते।

श्री जी०सी० भट्टाचार्य (उत्तर प्रदेश) : आप हाउस में व्यवस्था दीजिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हाउस से बड़ी से बड़ी चीज नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री बुद्धप्रिय मौर्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उस को रखने की आप ने इजाजत दी है उस के लिये आप का हार्दिक धन्यवाद। देवली हत्याकांड को लेकर 20 तारीख की सुबह को मैंने कालिंग अटेंशन मोशन दिया था। और भी माननीय सदस्यों ने दिये होंगे, लेकिन मुझ को उन की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ने यह कालिंग अटेंशन मोशन दिया था और इसी प्रकार का कालिंग अटेंशन मोशन लोक सभा में भी आया था। यह प्रश्न कई बार उठ चुका है कि बड़े महत्व के प्रश्न होते हैं और यहां उन को मंजूर नहीं किया जाता है, लेकिन लोक सभा में उन को मंजूर कर लिया जाता है। जहां तक आडवाणी जी का प्रश्न है कि सरकार का विचार आज चला जायगा और कल हम को सवाल पूछने का मौका मिलेगा, तो सरकार का विचार तो चला गया। कालिंग अटेंशन मोशन तो लोक सभा में हो हो गया। मैं तो व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं कि जब एक प्रश्न को ले कर कालिंग अटेंशन मोशन आता है तो उस को दो सदनों में दो निगाहों से क्यों देखा जाता है। मैं मानता हूं कि इस सदन की एक अलग परंपरा है और और उस की एक अलग परंपरा है, लेकिन उस सदन को क्यों तरजीह दी जाती है। क्योंकि जब कालिंग अटेंशन मोशन इस सदन में आया था तो उसी रूप में इस हत्याकांड के ऊपर डिस्कशन भी इस सदन में होना चाहिए था। उस में बहुत से तथ्य हमारे सामने आते। मैं ने अपने शोषित समाज के कर्मचारियों की एक टीम को वहां पर भेजा था और मुझे ऐसी जानकारियां हैं कि जो सरकार को नहीं हैं। जैसे कि एक किलोमीटर की दूरी पर ही वहां पुलिस थी और वहां चार घंटे तक गोलियां चलती रहीं लेकिन ...

श्री उपसभापति : अब आप विस्तार में न जाएं।

श्री बुद्ध प्रिय मोर्य : तो मैं चाहूंगा कि कालिंग अटेंशन के रूप में ही यह इस सदन में आये, चाहे यह आज आये या कल ।

श्री उपसभापति : एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह कहना है कि महत्वपूर्ण विषय यहां नहीं लिये जाते और वहां लिये जाते हैं, यह बात मेरी समझ में सही नहीं है । कोई विषय यहां लिया जा सकता है और कोई विषय वहां लिया जा सकता है क्योंकि दो व्यक्ति अलग अलग फैसला करते हैं । इसलिये कभी कोई कोई विषय वहां पहले आता है और कभी कोई पहले यहां आ जाता है । इस पर किसी प्रकार की आपत्ति उठाना मेरी समझ में उचित नहीं है । अब हम इस पर कालिंग एटेन्शन कल भी रख सकते हैं, अगर आप आज इस पर स्टेटमेंट नहीं चाहते तो कल कालिंग एटेन्शन कर लीजिये और इस पर बहस कर लीजिये । बात एक ही रहेगी । आप चाहे जैसे कर लीजिये ।

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): Sir, I would like to clarify one point. The normal practice so far is that when the Minister makes a statement, the Members are entitled to seek some clarifications and normally it is done on the same day after the Minister makes the statement. This is an important issue and the Government thought that it should come forward *suo moto* and the Home Minister would make a statement. The Home Minister has expressed his desire to the Chairman and this has been listed in the Order Paper.

Now if the hon. Members want it in any other form of discussion, it is for them and the Chairman to decide. In certain matters it is for the Chairman to decide what would be the mode. If the Members give notice of a Calling Attention, it is for the Chairman to decide whether the Calling Attention should be admitted or not. If it is a substantive Motion, the question of Business Advisory Committee will come in because certain time is to be allocated for the discussion on a substantive Motion. So far as we are concerned, it is for the Chair to decide. Let us first decide in what manner we want it. I will have to come in as the Leader of the House if you want to have a discussion on a substantive Motion and time has to be allocated. If it is Calling Attention, it is exclusively the jurisdiction of the Chairman to decide whether he will allocate it as a Calling Attention or not. The Home Minister has expressed the intention to make a statement. The Home Minister is entitled to do so and the Members are entitled to put clarifications to the statement; there cannot be a full-fledged discussion on that; it is merely seeking some clarifications on the basis of the statement made by the Home Minister. Now it is for you to decide.

श्री भोला पासवान शास्त्री : मैंने नेता सदन को सुना । अभी मोशन नहीं है । आप ने स्टेट मिनिस्टर फार होम को स्टेटमेंट देने के लिये कहा । हम ने उस पर पाइंट आफ आर्डर रेज किया और कुछ ओर लोगों ने भी उस पर अपनी बात कही । इस पर सदन के सामने मोसन यह है कि सदन चाहता है कि इस स्टेटमेंट पर फुल डिबेट हो । स्पष्ट डिबेट हो । अगर फुल डिबेट न हो तो स्टेटमेंट सुन कर हम लोग क्या करेंगे । रोज ही स्टेटमेंट सुन लेते हैं । नेता सदन ने कहा यह चेयरमैन पर डिपेंड करता है । चेयरमैन ने क्या कहा उस पर हम नहीं जाना चाहते । इस वक्त बात सामने यह है कि उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट होगा और और उस पर हमने आब्जैक्शन किया कि इस पर फुल डिबेट होनी चाहिए । यह समस्या आप के सामने है । या तो तो फुल डिबेट मंजूर कीजिये । ऐसा

[भोला पासवान शास्त्री]:
होने पर तो स्टेटमेंट पढ़ा जाये नहीं तो हम लोग नहीं चाहते कि उन का स्टेटमेंट सुन कर ही हम लोग बैठे रहें।

श्री उपसभापति : जो नियमों में व्यवस्था है उस के अनुसार ही तो बहस होगी।

श्री भोला पासवान शास्त्री : मैंने उसी पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है। उस पर आपको डिसीजन देना है।

श्री उपसभापति : स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन होंगे, यह नियम है। माननीय चेयरमैन ने कहा था कि स्टेटमेंट हो जाएगा, सरकूलेट हो जायेगा तो कल कालिंग अटेंशन नहीं होगा। इसी स्टेटमेंट पर सवाल हो जायेंगे और विचार कर लिया जायेगा और मिनिस्टर साहब उन का जवाब दे देंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि स्टेटमेंट पर पूरा डिस्कशन हो, खाली क्लैरिफिकेशन न हो तो बात दूसरी है, नहीं तो आप क्लैरिफिकेशन अभी कर सकते हैं।

कालिंग अटेंशन फिर एडमिट नहीं होगा। इस लिये आप जसा चाहें वैसा करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भोला पासवान शास्त्री : आप तो यह अभी कह रहे हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि देवली के सवाल पर स्टेटमेंट के साथ हाउस को फुल डिबेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। हाउस चाहता है। पहले इस बात पर तय हो जाए तब मामला आगे बढ़ेगा। नहीं तो नहीं बढ़ना चाहिए।

श्री उपसभापति : दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन आप चाहें तो अभी ले सकते हैं, कल चाहें तो कल ले सकते हैं। कालिंग अटेंशन नहीं चाहते हैं तो दूसरी बात है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, हम लोगों का अनुरोध आपसे है और वह अनुरोध यह है कि मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट व कालिंग अटेंशन दोनों साथ-साथ होना चाहिए। आप उसको कर सकते हैं। आप अभी आदेश कर सकते हैं।

श्री उपसभापति : स्टेटमेंट तो लिस्टेड है वह तो होना चाहिए।

श्री योगेन्द्र शर्मा : समस्या की गंभीरता को देखते हुए और सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए, खासकर ऐसे सदस्य जो कि इस जघन्य हत्या के शिकार भी हैं, आपको यह निर्णय करना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आपकी बात में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई विरोध नहीं है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : श्रीमन्, बयान आज हो जाता है और मैम्बर लोग कल बोलगें तो वह बेमाने हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप दोनों को साथ ही कर दीजिए।

श्री मनुभाई पटेल : श्रीमन्, लीडर आफ दि हाउस को कोई आब्जेक्शन नहीं है। उन्होंने अभी कहा—— It is the Chair and the House to agree. तो आप क्यों 'ना' कहते हो ? लीडर आफ दि हाउस ऐग्रीयेबुल है।

श्री उपसभापति : तो क्या मैं उस पर आपत्ति कर रहा हूं ? मैं तो कह रहा हूं कि आप जैसा चाहें वैसा करिये।

श्री मनुभाई पटेल : ये अपने अधिकार के अन्दर है, आप कहिये कि कल इस पर फुल डिबेट हो जाए, कल ही स्टेटमेंट हो। ... (व्यवधान)

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: Just one minute. I would like to clarify. The Minister has the right to make a statement. It is not necessary that the Minister will have to react. The Minister can act and it is by way of action that the Minister expressed his intention to make a statement on the floor of the House *suo motu*, and when a Minister makes a statement, Members have the right to seek clarifications and, normally, as per the practice of this House, clarifications are sought immediately after the statement is made.

SHRI BHOLA PASWAN SHASTRI: It is clear.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: No, no, it is not clear, Paswanji. You are raising something else. But if you want to have a discussion on a substantive motion, that you cannot decide here right now. For that time has to be allocated in the Business Advisory Committee. If you want to have discussion in another form, it is for the Chairman to decide. But the limited question is whether the Minister will make the statement and whether clarifications will be sought right now or tomorrow. That is for you to decide.

श्री भोला पासवान शास्त्री : जैसे उन्होंने ठीक कहा, इमीडियेट क्वैश्चन है, स्टेटमेंट गवर्नमेन्ट की तरफ से आवे, उस पर क्लैरिफिकेशन हो। हम लोगों की राय है कि स्टेट मिनिस्टर का अगर स्टेटमेंट आवे तो इसी वक्त से फुल डिबेट उस पर शुरू हो जाये। अगर कल शुरू हो तो फिर कल ही डिबेट हो। स्टेटमेंट पर फुल डिबेट माना जा सकता है, इस हाउस का अधिकार है। गवर्नमेंट का इस पर एग्री करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि स्टेटमेंट हो तो फुल डिबेट शुरू हो।

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): Sir, the point of procedure which the hon. Leader of the House pointed out is that if the Minister makes a statement, obviously Members can seek clarifications. He has said that clarifications may be sought tomorrow. I think it will be a very unhealthy procedure. If a statement is made and the subject is kept in abeyance for the next day, it will be setting up a new procedure. From the Opposition side it is said that a discussion should follow the statement—at the same time. I am aware of the difficulties. If the statement is to be discussed, there must be a motion that the statement is to be taken up for discussion but then the Business Advisory Committee comes in there. But a compromise can be made. That was done in the past also. In such sensitive matters it was decided that a statement should be kept in abeyance for a day. Then the matter will come up in the form of a Call-Attention and instead of the statement being made on the earlier day, it will be a reply on the next day on the same Calling-Attention. A Calling-Attention may be admitted for tomorrow and the statement may be kept in abeyance till tomorrow. That laxity may be given. Then in the Calling Attention the normal procedure may not be followed, though it will come up in the form of a Calling Attention. We have done it umpteen times. This procedure can be followed. Therefore, my submission is that the Home Minister may not make the statement today.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the harm if he makes it? The statement has already been made in the Lok Sabha. If it is made, you will have the benefit of having the statement. You can study it and put your observations tomorrow.

SHRI DINESH GOSWAMI: That was a compromise I was suggesting.

MR. DEPUTY CHARMAN: This is not a new procedure that we are adopting.

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : जहां तक मंत्री महोदय का अधिकार है वह अपना वक्तव्य दे सकते हैं। शास्त्री जी कह रहे हैं कि फुलफ्लेड डिबेट हो। मैं समझता हूं जब क्लैरिफिकेशन होती है तब भाषण हो ही जाता है। कालिंग अटेंशन को ले लीजिये, प्रश्न को ही ले लीजिये। जब भी लोग क्लैरिफिकेशन करने लगते हैं तो तकरीर करने लगते हैं। मेरा निवेदन है कि इनको अपना वक्तव्य देने दीजिये और अपना क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए।

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): Sir, this is an entirely unwarranted procedural wrangle that has been created. The Minister wants to make a statement. Not once, hundreds of times statements have been made by Ministers in this House. I do not know what we are discussing. If a statement is made, the Minister in his wisdom may choose to clarify some of the points raised by the Members. Now if a Calling Attention is wanted, the Chairman in his wisdom can allow it tomorrow. There is no restriction for a Calling Attention being allowed. But if they are wanting a debate in the sense that everybody should be able to say something—I put it to Advaniji through you—do they want an untrammelled right to criticise the Government? Should they not go in for a motion condemning the Government, something of the sort? What shall we debate on the statement? Just go on criticising the Government in the air as if it were. That is not the purpose. That has never happened without a motion. Unless there is a substantive motion, no debate has ever taken place. (*Interruptions*) Therefore, I would submit to you, Sir, that the only way this procedural wrangle can be solved is to allow the Minister to make the statement and the Members can ask for clarifications. Tomorrow, if you want to allow a Calling Attention, what can we say in that matter, That is your prerogative.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): I do not think that the Government side would agree with us in discussing this tragic affair. It is not a question of which Government is in power in Uttar Pradesh or Bihar. It is a question of the society that we are living in; and we are all concerned about it. Now, what is the objection of the Government? (*Interruptions*)

श्री भोला पासवान शास्त्री : अगर फुल डिसकशन एलाउ नहीं होता तो हम लोग स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे। यह स्टेंड इस वक्त है। हम लोग सब वाक-आउट करते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister.

SHRI LAL K. ADVANI: No, Sir. We walk out in protest.

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber*)

SHRI B. D. KHOBRAGADE (Maharashtra): It is horrible. In the human history such a tragedy has never occurred and we are staging walk out.

(*At this stage the hon. Member left the Chamber.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing but the Minister's statement will go on record.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, it is with deep sense of anguish and pain that I have to report about the ghastly incident which occurred on the 18th November, 1981 in Deholi village, Mainpuri Dstrct of U.P. in which 24 Harijans were killed. According to the report received from the Government of U.P. due to enmity 8 desperadoes and their associates raided the houses of Jatavas at about 5 P.M. on 18-11-1981 while most of the men folk were out in their fields. The desperadoes armed with fire arms

were led by Santosha and Radhey, Thakurs of the same village. Both are wanted in several criminal cases of the district. They were armed with guns and were about 20 in number. The outrage resulted in killing of 9 males, 6 females and 9 children while 6 persons have been injured by gun shots. All the dead and the injured belong to 11 Jatav families. Property worth Rs. 5000|- was taken away. On receiving information D.I.G., Agra range and D.M.|S.P alongwith sufficient force reached the spot. Raids and combing operations were started to apprehend the culprits. Police have registered a crime case and are investigating. Vigorous efforts for the arrest of the culprits are being made. A sum of Rs. 10,000|- has been distributed to the family members by the District Magistrate on the spot as immedieate relief.

As soon as word was received of the incident the Prime Minister desired the Home Minister to visit the village to convey her horror at the outrage and to provide relief and succour to the bereaved families. The Home Minister visited Deholi on the 20th November, forenoon. The Chief Minister and the Home Minister of U.P. were also there. It is needless to narrate the gory scene and the devastation left behind by the desperadoes. Besides conveying the Government of India's grief at the outrage the Home Mnister took the occasion of discussing in detail with the Chief Minister and Home Minister of U.P. and other officials about the administrative measures to be taken in order to bring offenders to book without delay and restore confidence among the people. The Home Minister announced a grant of Rs. 5,000|- for every dead member in a family and a grant of Rs. 2,000|- for every injured member from the Prime Minister's Relief Fund. The Chief Minister of U.P. has also announced a similar scale of relief on behalf of the Government of U.P.

I am sure that the House with one voice condemn, in the strongest terms, such barbarous behaviour, and convey its heartfelt sympathies to all the families who are victims of this brutal outrage.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ FIQ ZAKARIA): in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Any clarification?

श्री बुद्ध प्रिय मोर्य : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस तरह के हत्या-काण्ड मे कोई किसी दल से नहीं जोड़ा जा सकता है और अगर कोई नेता या कोई दल इस तरह के हत्या-काण्डों को किसी दल से जोड़ता है तो वह वास्तविकता की तलाश में नहीं है, सच्चाई की तलाश में नहीं है । आप जानते हैं कि जनता पार्टी का राज आता है तो बैलची काण्ड होता है । कफल्टा काण्ड भी बीच में आया । वहां के सब मुल्जिमों को छोड़ दिया गया है । एक माननीय सदस्य ने मुझे बताया है कि कफल्टा के पहाड़ी इलाके में जो अपराध हुआ था और जिसमें शोषित जनों को मारा गया था, उस मामले के मुल्जिमों को छोड़ दिया गया है । अब यह देवली काण्ड हो गया है । यहां पर 8 महीने के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े तक का कत्ल किया जाता है । दिन-दहाडे यह काण्ड होता है । हमने अपने शोषित समाज की तीन वहां भेजी है । यह काण्ड 18 तारीख को साढ़े तीन बजे शुरू होता है और साढ़े सात, आठ बजे तक चलता रहता है । एक खास जाति के लोगों को चुन-चुन कर मारा जाता है । आप जानते हैं कि जाटव जाति शेडयूल्ड कास्टस का एक अंग है । जैसा कहा गया है, 24 जनो को मार दिया गया । एक वनिता श्रीमती फूलमती, जो 25 साल की थी, उसके साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसके अंग-प्रत्यंगों को जला दिया गया । फिर उसको शूट

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

किया गया और जान से मार दिया गया। यह लगातार चलता रहा रात को 7.30, 8 बजे तक उस गांव में। यहां एक विशेष बिरादरी के लोगों के पास आठ बंदूकों के लाइसेंस भी हैं। उन आठ बन्दूकों का कोई इस्तेमाल नहीं होता है वलिक उस बिरादरी के, जिस बिरादरी के डकैत थे दो, संतोष और राधे, उनकी बिरादरी के लोगों के पास 8 बन्दूकें इस गांव में हैं श्रीमन। लेकिन उन बन्दूकों का इस्तेमाल नहीं होता। बलिक जाटव बिरादरी के लोगों को चुन चुन कर बताया जाता है कि ये यहां छुपा है वह वहां छुपा है। श्रीमन, मैं यह इस वजह से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का एक बयान आया था कि ये दंगे जातीयता के आधार पर नहीं हुए। परन्तु यहां जातीयता का आधार है क्योंकि एक ही बिरादरी के लोगों को चुन चुन कर मारा गया। एक 25 वर्ष की औरत एक भंगी के घर में घुस गई, उसको वहां से घसीट कर लाया गया और उसको मारा गया। इसी तरह एक 70 वर्ष का बुड्ढा एक मुसलमान के घर में घुस गया, उसको बाहर निकाल लाये और उसको मारा गया। मुख्य मंत्री का यह बयान कि यह बिरादरी का टकराव नहीं है यह सत्य से परे है यह वास्तविकता से परे है। वास्तविकता यह है कि एक खास बिरादरी के लोगों ने एक दूसरी शोषित समाज के बिरादरी के लोगों को चुन चुन कर मारा है। मारने वालों में कुछ और भी दकैत शामिल थे। लेकिन उन दोनों डकैत गिरोहों के नेता संतोष और राधे हैं...

उपसभाध्यक्ष (डा० रफीक जकरीया): अब आप ..

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: श्रीमन्, मैं प्रश्न करने वाला हूं। इस पर मैंने कालिंग अटेन्शन मोशन दिया था।

मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, उनसे जानना चाहूंगा कि इस जाटव बिरादरी के लोगों का एक नौजवान, निहत्था 6 महीने पहले इन लोगों ने, इस गांव में ठाकुरों ने मार दिया था, क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है कि आज से 6 महीने पहले जाटवों ने, जब कि उनके इस नौजवान को मार दिया गया था, बन्दूक के लाइसेंस के लिये दरख्वास्त दी थी? क्या यह सत्य है कि इस हादसे से पहले, इस वाकये से पहले, पाच दिन पहले उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारी जान खतरे में है? क्या यह बात सत्य है कि जहां पर यह हत्या कांड हुआ है वहां से पीएसी एक किलोमीटर के फासले पर पड़ी हुई थी? लगातार तीन-चार घंटे गोलियां चलती रहीं और गोलियों की आवाज इतनी दूर तक आसानी से चली जाती है तो क्या वजह है कि पी ऐसी उनकी सहायता के लिये नहीं पहुंची? श्रीमन्, 30 आदमी पुलिस की वर्दी में थे और पूरे गांव की खास बिरादरी के लोगों को चुनचुन कर उन्होंने मारा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये कोई रास्ता निकाला जाये।

मैं प्रश्न पूछने के साथ साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं और फिर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। श्रीमन, मैं वहुत पहले जब विरोधी दल में काम करता था, 1950, 51, 52 में तो उस समय हम लोग भी यह मांग किया करते थे कि शोषित समाज के लोगों को भी हथियार दे दिये जायें। यह मांग उस समय से लगातार अभी भी की जा रही है। अभी एक सदस्य,

जो उधर से हैं उन्होंने भी यह मांग की है । 35 वर्षों के बाद अब उनकी आंख खुली । लेकिन इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री का बयान आया था और वह तब जब वह प्रधानमंत्री नहीं थीं । आज अगर यह कहें कि यह प्रधानमंत्री का बयान है तो यह बात नहीं है, यह उस समय दिया था जब वे सत्ता में नहीं थी । जब यह प्रश्न खड़ा हुआ कि शोषित समाज के लोगों को बन्दूक बांटी जाये तो उन्होंने कहा था कि इस तरह हथियार बांटने से गृह युद्ध हो सकता है और इससे समस्या का कोई हल नहीं होगा । यह ठीक है लेकिन मैं यह भी मानता हूं, यह प्रार्थना करता हूं कि किसी भी बन्दूक का लाइसेंस, किसी भी रिवाल्वर का लाइसेंस किसी भी जमींदार या किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए । ये चीजें केवल पुलिस के पास रहें, पी.ए.सी. के पास रहें, फौज के पास रहें और वे ड्यूटी पर जब वे रहें तब उनके पास होने चाहिए और इनके अलावा किसी भी सिविलियन को हथियार रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि इन हथियारों का दुरुपयोग हो रहा है ।

श्रीमन, दूसरी बात मैं लैंड रिफोर्म के बारे में कहना चाहता हूं । इस गांव में जिन डकैतों ने कत्ल किया, उनमें से एक डकैत के पास सौ बीघा जमीन उसकी ननिसाल में है और दूसरे डकैत के पास 50 बीघा जमीन है । हालांकि उत्तर प्रदेश सीलिंग ऐक्ट के अनुसार इतनी जमीन उनके पास नहीं होनी चाहिए । इससे साफ जाहिर है कि यह जमींदार और खेत मजदूरों के बीच के झगड़े हैं । इससे यह साफ जाहिर है कि इसके पीछे और भी बहुत से प्रश्न हैं । एक बार यहां पर डकैती पड़ी तो एक जाटव पुलिस का गवाह बन गया था, उस तरह से वह मारा गया । श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लैंड रिफार्म जो कि तेजी के साथ नहीं हो पा रहा है, इन क्षेत्रों में तो लैंड रिफार्म नहीं हुआ है तो क्या उसको आप तेजी से करेंगे ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): Please

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: मेरे दो प्रश्न है । एक एक मिनट में मैं खत्म कर दूंगा । मेरा एक प्रश्न यह है कि जिस जिले में इस तरह का हत्याकांड हो उस जिले के कलक्टर, एस० पी० और जिस क्षेत्र में हो वह एस० डी० ओ०, डी० एस० पी०, जिस पुलिस थाने में वहां का थाना इंचार्ज और जिस गांव में हो वहां का पटवारी तमाम को मुअत्तिल कर दिया जाए क्योंकि 18 घंटे तक यहां पुलिस नहीं पहुंचती है ऐसा लगता है कि पटवारी से ले कर कलेक्टर तक, थानेदार से ले कर एस० पी० तक, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी । क्या इस तरह का कदम सरकार उठायेगी अन्तिम प्रश्न यह है कि जब जमींदार निहत्थे शोषितो को भूनें, आजाद हिन्दोस्तान में शोषितों की जानें ली जाएं— इस घटना में जैसे कि आठ महीने के एक बच्चे को भी मार दिया गया, तो क्या सरकार यह कानून बनायेगी कि ऐसे जमींदारों की तमाम जमीन और सम्पति को जब्त कर लिया जाए और उन परिवारों को दे दिया जाये जिन परिवारों की हत्या होती है नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि कफाल्टा की तरह से इसमें सभी दोषी बने जाएं । मुझे इतना ही कहना है, धन्यवाद ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The honourable Member has put certain questions. By and large, I agree with whatever he has narrated here. I am in agreement with him. I would not like to reply to the questions put by the honourable Member. The first thing he has asked is about the killing of one Jatav some six months back. So far as this incident is concerned, I have no information and I will collect it and inform the honourable Member. So far as the application for licences to hold firearms is concerned, the information with me suggests that there was no such application made by them. So far as the information or report given to the police authorities that their life is in danger, is concerned, on checking the records of the police station no such application was found from the records of the police—that the Jatavs informed the police that their life was in danger. So far as the PAC post is concerned, one company of PAC is located at Mustafabad which is near the village of Deoria at a distance of about eight kilometres and not one kilometre. So far as attachment of the property of those who committed this offence is concerned, the Government has taken immediate steps and the property of those who belonged to this village is attached by the Government, and the Government has started attaching the property of those belonging to the other village also. So far as suspension of officers is concerned, some officers are suspended and the Government is investigating, and after investigation whosoever is found responsible for negligence will be dealt with under law and will be suspended.

SOME HON. MEMBERS: Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. RAFIQ ZAKARIA): I am afraid I cannot allow the Minister's statement to be turned into a debate because it will establish a precedent. But taking into consideration the feelings in the House, I believe the Chairman may allow a Calling-Attention on this question tomorrow when all such questions or clarifications that you may like to ask for may be replied to by the Minister. So far as this matter is concerned, it ends there now. Tomorrow perhaps an opportunity may be given to the House for all such clarifications as may be required.

Now, we go to Special Mentions. Mrs. Monika Das.

—

REFERENCE TO THE REPORTED MISMANAGEMENT IN THE ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI

SHRIMATI MONIKA DAS (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, recently in the *Hindustan Times* it has appeared that the prestigious All India Institute of Medical Sciences is once again in the grip of total confusion as it finds itself with three *de facto* Medical Superintendents who control its affairs. When Dr. Safaya, who is an Associate Professor of that Institute, had been to Iraq on deputation, he appointed one Mr. R. P. Sinha who is a non-medical man. He is in charge of that hospital. Dr. Bhargava is in charge of the Management Board. When patients come to the hospital they do not know who is in charge of the hospital. Recently one cancer patient went there and after spending 22 days he was unable to find out who is in charge of that hospital. And ultimately that patient who came from Faridabad died.

First of all non-medical persons cannot be put in charge of the hospital. There is a rule to that effect. Mr. R. P. Sinha was appointed when Dr. Safaya was abroad. This has created lot of confusion in the Institute. The patients are suffering. The staff are not happy. The nurses also are complaining. The patients do not know whom to go and what to do. The matter has been represented to the Health Minister. I do not know whether he has taken any action. There should be one Superintendent in the hospital. The All India Institute of Medical Sciences is a presti-